शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 16 अंक : 5 1 दिसम्बर 2023

मार्गशीर्ष मास, विक्रम संवत् 2080

परामर्श

के.नरहरि

डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल

जगदीश प्रसाद सिंघल

शिवानन्द सिन्दनकेरा

जी. लक्ष्मण

महेन्द्र कुमार

❖

सम्पादक

प्रो. शिवशरण कौशिक

❖

संपादक मंडल

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय

प्रो. ओमप्रकाश पारीक

डॉ. एस.पी. सिंह

प्रो. दीनदयाल गुप्ता

भरत शर्मा

❖

प्रबन्ध सम्पादक

महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक

बसंत जिंदल

❖

प्रेषण प्रभारी : **नौरंग सहाय 'भारतीय'**

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राजस्थान) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली - 110053

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

वार्षिक शुल्क ₹ 250/-
दस वर्षीय शुल्क ₹ 2000/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा चित्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।

कौशल विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ❑ प्रो. रसाल सिंह

पिछले तीन वर्षों में देश के उच्च शिक्षा तंत्र में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इन बदलावों ने उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित, शोध-केंद्रित एवं नवाचारी बना दिया है। साथ ही, कई विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धी बना दिया है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की सबसे बड़ी बाधा आर्थिक संसाधनों और ढाँचागत सुविधाओं का अभाव है। परम्परागत शिक्षा की तुलना में कौशलपरक शिक्षा के लिए कई गुना अधिक ढाँचागत सुविधाओं और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

4

अनुक्रम

3.	सम्पादकीय	-	प्रो. शिवशरण कौशिक
7.	कौशल विकास के भारतीय क्षेत्र	-	प्रो. आलोक कु. चक्रवाल
10.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा - कौशल विकास	-	प्रो. प्रवीन कुमार मिश्र
13.	एनईपी में उच्च शिक्षा - कौशल विकास	-	डॉ. दीपेन्द्र सैनी
15.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा : कौशल विकास	-	डॉ. रीना बाला
17.	तकनीकी शिक्षित युवा-भारत की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता	-	डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी
20.	उच्च शिक्षा में कौशल विकास और राष्ट्रीय विकास	-	डॉ. प्रमोद कुमार
22.	उच्च शिक्षा में कौशल विकास द्वारा राष्ट्रीय विकास	-	डॉ. पाणिनि नीमड़
24.	कौशल विकास के विविध क्षेत्र : आधुनिक एवं...	-	डॉ. उदय भान सिंह
32.	भारतीय ज्ञान परंपरा व भारत में महिला शिक्षा	-	डॉ. अमरीक सिंह ठाकुर
36.	संस्कार पोषणक्षम प्राथमिक अधिगम शिक्षण विधियाँ	-	डॉ. घनश्याम शर्मा
39.	Navigating the Linguistic Landscape ...	-	Prof. Anil K. Dadhich
41.	भारतीय संस्कृति की अद्‌भुत विशेषताएँ	-	उमेश कुमार चौरसिया

Skill Development Initiatives : A Global Perspective

❑ **Dr. Nisha Prajapati**

Skill development initiatives across the globe play a pivotal role in shaping the future of work and ensuring individuals are equipped with the skills needed to thrive in a rapidly changing world. These initiatives, supported by robust data sources, reflect a collective recognition of the importance of continuous learning and adaptability in the face of technological advancements and evolving economic landscapes.

28

संपादकीय

प्रो. शिवशरण कौशिक
सम्पादक

समूची पृथ्वी पर प्रत्येक जीवंत मानव की कार्य-कुशलता, जीवन-कुशलता तथा व्यवहार-कुशलता भिन्न-भिन्न होती है। जिस प्रकार एक पिता के चार पुत्रों में किसी एक की कार्यशैली दूसरे से अलग होती है, उसी प्रकार उनका जीवन-व्यवहार और अनुभव-संसार भी भिन्न-भिन्न होता है। यह कौशल-विविधता ही प्रत्येक नागरिक को व प्रत्येक शिक्षार्थी को एक-दूसरे से भिन्न बनाती है, विशिष्ट बनाती है। इसलिए कौशलाधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षार्थियों के भिन्न-भिन्न शिक्षा-स्तरों तथा अनुभव-वर्गों के दृष्टिगत अनेक कौशल आधारित पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षणों तथा संस्थानों का नियोजन किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न राष्ट्रों की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थितियों के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में कौशल विकास के परंपरागत तथा अधुनातन क्षेत्रों पर सघन रूप से कार्य किया जा रहा है।

भारत वर्तमान की चुनौतियों तथा भविष्य की दूसरगामी योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से इस समय विश्व के अग्रणी देशों में है जिसने तकनीक, रक्षा-प्रतिरक्षा, उद्योग, कृषि, पशुपालन, वास्तु, निर्माण, वाणिज्य आदि क्षेत्रों के साथ शिक्षा-क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैम्पस के साथ भारत के बड़े शिक्षा-संस्थानों के विकसित देशों में परिसर खोलने जैसी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर तीव्रगति से कार्य हो रहा है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में कौशल विकास पर बने प्रशिक्षणों ने भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। यह न केवल विद्यार्थियों को नौकरी पाने का मार्ग प्रशस्त करता है अपितु उन्हें स्वयं के कार्य-व्यापार या स्वरोजगार की प्रेरणा देकर व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर सशक्त व समर्थ बनाता है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षार्थी के विकास के लिए गणित, विज्ञान, तकनीक और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कौशलपूर्णता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह कौशल उन्हें दैनिक समस्याओं के समाधान खोजने, संदर्भों को समझने और राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने के योग्य बनाता है।

आज शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए कौशल विकास के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसी के साथ कौशलाधारित शिक्षा ने राष्ट्रों की परिधि से पार जाकर अपनी आवश्यकता प्रतिपादित की है। सूचना, तकनीक और ज्ञान के विविध क्षेत्रों में कौशल विकास के कई पाठ्यक्रम भी निर्मित किये जा रहे हैं जैसे - तकनीकी कौशल, व्यावसायिक कौशल, हस्त कला कौशल, कला संस्कृति कौशल, वैचारिक विकास के लिए समस्या - समाधान कौशल, शोध के लिए अनुसंधान कौशल, समूह में कार्य करने के लिए समूह सहयोगी कौशल, रचनात्मक लेखन कौशल, मौखिक तथा लिखित भाषा कौशल, व्यावसायिक संवाद कौशल, पर्यावरण समर्पण कौशल, उद्यमिता विकास कौशल इत्यादि के अनेक पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं उनकी शिक्षा हेतु प्रशिक्षण संस्थानों ने विद्यार्थियों के अनुकूल तेजी से वातावरण और स्थितियों का निर्माण करना आरंभ कर दिया है। आज युवा विद्यार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में उच्च कौशल - प्रशिक्षणों की आवश्यकता है जिनसे विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, रचनात्मक और भावात्मक गुणों का समुचित विकास हो सके।

यह वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा के समय की आवश्यकता भी है और उचित भी, कि उच्च शिक्षा प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी में कौशल की दृष्टि से कोई-न-कोई एक विशिष्टता आवश्यक रूप से हो। ये भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की कौशल-विशिष्टताएँ विद्यार्थियों को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा से बचाएगी तथा उनमें अपने कौशल के प्रति आत्मविश्वास का संचार करेंगी। सीमांत विद्यार्थी तथा अत्यधिक मेधावी विद्यार्थी में परस्पर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होगा। वस्तुतः भारत की सांस्कृतिक तथा बौद्धिक परंपरा में यह माना जाता है कि मनुष्य जीवन में मन, बुद्धि और विचार को व्यवहार के स्तर पर साध लेना सबसे बड़ा जीवन कौशल है। आज जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ हृदय की पूर्णता की आवश्यकता पुनः प्रतीत होती है क्योंकि भौतिक विकास की बेतहाशा दौड़ में हृदय का विकास कहीं पीछे छूट रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावनात्मक विकास पर केंद्रित है। यह शिक्षा नीति वर्तमान युवा पीढ़ी में कौशल विकास की दृष्टि से समग्रता में एक आधारभूत महत्त्वाकांक्षी नीति है।

यह अंक उच्च शिक्षा में कौशल विकास प्रशिक्षण पर केन्द्रित किया गया है, जिसमें कुछ आलेख निश्चित रूप से पठनीय हैं। अंक पठनार्थ, मूल्यांकनार्थ आपके सम्मुख प्रस्तुत है। ❑

कौशल विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति

प्रो. रसाल सिंह
प्रोफेसर,
किरोड़ीमल कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

'शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों का नहीं, बल्कि मूल्यों का ज्ञान और कौशल विकास करना है।' – विलियम एडवर्ड्स डेमिंग

नई शिक्षा नीति 1968 और 1986 का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में समता और समानता को बढ़ावा देना था। शिक्षा नीति 1968 में जहाँ शैक्षिक ढाँचे में सुधार पर जोर था; वहीं, 1986 की शिक्षा नीति में शैक्षिक असमानताओं का उन्मूलन चिंता के केंद्र में था। इसके विपरीत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधुनातन शैक्षिक साधनों और नवोन्मेष के माध्यम से भारतीयकरण और कौशल विकास को बढ़ावा देती है। जुलाई 2020 से लागू की गयी यह नीति मुख्यत: उच्च शिक्षण संस्थानों में महत्त्वपूर्ण सुधारों और विनियमन ढाँचे के सरलीकरण के द्वारा संस्कारपरक और रोजगारोन्मुख शिक्षा की प्रस्तावना करती है। यह सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के लिए एक समान, संतुलित एवं संवेदनशील नियमन की प्रस्तावना करने के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में लाभरहित निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहन देती है। यह भारत की 145 करोड़ जनसंख्या की जरूरतों के अनुसार नए व्यावसायिक संस्थानों, कौशल केंद्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भ और प्रोत्साहित करने की दूरगामी पहल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दैनंदिन जीवन से संबंधित व्यावहारिक कौशल पर आधारित भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के प्रति समर्पित है। समृद्ध और उन्नत भारतीय ज्ञान परंपरा की सूक्ष्म समझ, गांधीजी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण से प्रेरित एवं आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा से परिपूर्ण यह शिक्षा नीति विविध शिक्षण-अधिगम सिद्धांतों का सामंजस्यपूर्ण समावेशन है। यह जीवनोपयोगी सैद्धांतिक ज्ञान को अपनाते हुए सामाजिक मूल्यों के साथ बहुभाषावाद को प्रतिष्ठापित करती है। इसने पिछले तीन वर्षों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन की पीठिका तैयार करते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और पुनरुद्धार की शुरुआत की है।

इसके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में निम्न आवश्यक तत्त्वों पर ध्यान दिया गया है :

हर विद्यार्थी के लिए निष्पक्ष एवं समावेशी शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हुए कौशलाधारित शिक्षा को प्रोत्साहन, प्रत्येक छात्र के हितों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाले बुनियादी, बहुमुखी और सर्वसुलभ शैक्षिक ढाँचे का निर्माण, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों/केंद्रों की ढाँचागत क्षमता, शैक्षिक संसाधनों और सुविधाओं का क्रमिक विकास, विनियमन व्यवस्था में संगठनात्मक परिवर्तन करते हुए एक एकीकृत उपक्रम की स्थापना आदि। उच्च

शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ऐसी ही पहल है।

एक व्यापक, संस्कारपरक, कौशल आधारित और अंत:विषयी (इंटरडिसिप्लिनरी) शिक्षा प्रदान की जा रही है।

बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करते हुए मातृभाषा विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम क्रिया को संचालित किया जा रहा है। अभियांत्रिकी, चिकित्सा और प्रबंधन जैसे विषयों की पाठ्य-सामग्री हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार की जा रही है। शिक्षकों को निरन्तर प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए समयबद्ध नियुक्ति और प्रोन्नति की जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के नये व्यावसायिक संस्थान खोलने पर विशेष बल दिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा संस्थान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50 हजार करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और शोध को समाज और उद्योग जगत से प्रत्यक्षत: जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

गुणवत्तापूर्ण दूरस्थ और मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सकल नामांकन अनुपात (GER) को निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। सकल घरेलू उत्पादन का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की दिशा में भी विचार-विमर्श हो रहा है। भारत का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना और GST कर की निरन्तर बढ़ती राशि ने आशान्वित किया है कि भारत सरकार शिक्षा बजट बढ़ाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए आवश्यक भौतिक ढाँचा तैयार करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के परिणामस्वरूप समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC), जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान (HEIs) छात्रों द्वारा प्राप्त

पिछले तीन वर्षों में देश के उच्च शिक्षा तंत्र में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इन बदलावों ने उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित, शोध-केंद्रित एवं नवाचारी बना दिया है। साथ ही, कई विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धी बना दिया है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की सबसे बड़ी बाधा आर्थिक संसाधनों और ढाँचागत सुविधाओं का अभाव है। परम्परागत शिक्षा की तुलना में कौशलपरक शिक्षा के लिए कई गुना अधिक ढाँचागत सुविधाओं और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

क्रेडिट्स को डिजिटल रूप में जमा कर रहे हैं। छात्र त्रिवर्षीय ऑनर्स प्रोग्राम या चतुर्वर्षीय ऑनर्स प्रोग्राम, अनुसन्धान के साथ चतुर्वर्षीय ऑनर्स प्रोग्राम का चयन कर रहे हैं। इसके साथ ही, वे प्रोग्राम के किसी भी वर्ष में प्रवेश ले या छोड़ सकते हैं। उन्हें अध्ययन अवधि के अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। अब उनका समय, श्रम और संसाधन निष्फल नहीं जाएगा। उच्च शिक्षा में बहु-प्रवेश और निकास प्रणाली के साथ-साथ बहुविषयक पठन-पाठन भी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

भारत सरकार शिक्षा के माध्यम के साथ-साथ भारतीय भाषा, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे संभव कर रही है। इसके अंतर्गत कई उच्च शिक्षण संस्थान क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ स्थानीय भाषा को शिक्षण का माध्यम बना रहे हैं। इससे वंचित वर्ग-दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। अध्ययन-अध्यापन में अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व ने इन वर्गों की वंचना को कई गुना बढ़ाते हुए उसे स्थायित्व प्रदान किया है। औपनिवेशिक पाठ्यचर्या ने भारतीय मेधा को कुंठित करते हुए अपनी जड़ों से काट डाला है। अब स्थानीयता और अंतरराष्ट्रीयता का समन्वयन करते हुए जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रतिभा पलायन और पूँजी प्रवाह को रोकने के लिए नामी-गिरामी विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर भारत में खोले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता, विशेष ऋण, छात्रवृत्तियाँ और पुरस्कार आदि सुनिश्चित किए गए हैं। शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने

के लिए निरंतर प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूचना-तकनीक यंत्रों और माध्यमों से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, समावेशी और सरल बनाया जा रहा है। नवाचार और नवोन्मेष शिक्षा परिदृश्य का वर्तमान है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में प्रत्येक कक्षाकक्ष वह सुन्दर उपवन है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रोशनी में क्षमता, प्रतिभा, आकांक्षा और संभावना के बहुरंगी फूल खिल रहे हैं।

भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक, दिल्ली विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका है। यह कई अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों, सहयोगी सम्बन्धों को धरातल पर उतार रहा है। यह वसुधैव कुटुंबकम् की भावना के साथ-साथ सर्वजनीनता और सार्वभौमिकता को साकार करने की दिशा में निर्णायक पहल कर रहा है। विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ की जा रही रणनीतिक साझेदारियाँ पारस्परिक आदान-प्रदान के साथ-साथ शिक्षण परिदृश्य को गतिशील और समृद्ध बना रही हैं। कौशल विकास की दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम (VAC) आदि की भूमिका उल्लेखनीय है।

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप पाठ्यक्रमों में आधारभूत परिवर्तन और विषयों के चयन में लचीलापन, बहुविषयकता, गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार, कॉलेजों की स्वायत्तता और शिक्षक प्रशिक्षण आदि को अपनाया है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनेक राज्य विश्वविद्यालयों ने अपने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को सीबीसीएस और एल ओ सी एफ फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिवर्तित करते हुए अधुनातन कर लिया है। यह प्रणाली छात्रों को अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम चुनने और बुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। पाठ्यक्रमों के अलावा शिक्षण प्रविधियों और पद्धतियों में भी निर्णायक बदलाव हुए हैं। ये बदलाव यूजीसीएफ पाठ्यक्रम 2022 के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य समग्र शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह बदलाव छात्रों के कैरियर लक्ष्यों के अनुसार कौशल विकास और संस्कार निर्माण में सहयोगी सिद्ध होगा।

बहुविषयक और अंतरविषयक अनुसंधान और पठन-पाठन को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक विश्वविद्यालयों ने कई बहुविषयक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जैसे बी.ए. (ऑनर्स) इन लिबरल आर्ट्स और एम.ए. इन इंटरडिस्प्लिनरी स्टडीज। यह कार्यक्रम छात्रों को विभिन्न विषयों का अध्ययन एकसाथ करने की अनुमति देते हैं। साथ ही, विचार-विमर्श, समस्या-समाधान क्षमता और संवाद कौशल विकसित करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गये हैं। ये 21वीं सदी की आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गये हैं।

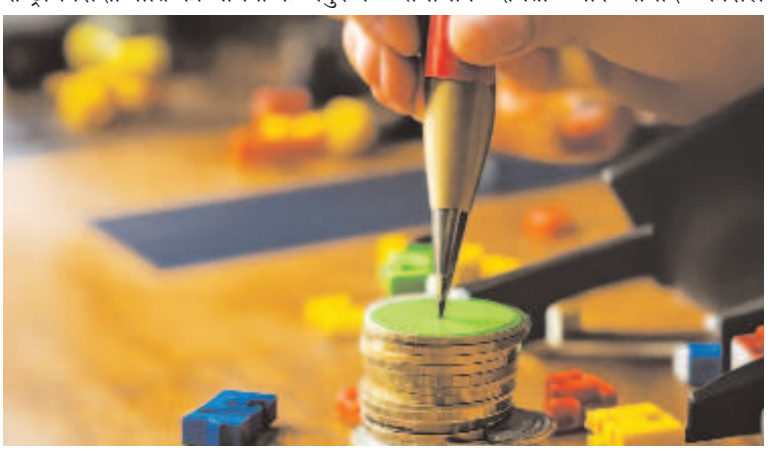

विश्वविद्यालयों में इन्नोवेशन सेंटर, इन्क्यूबेशन सेंटर, स्टार्ट-अप फंड, उद्यमोदय फाउंडेशन,विश्वविद्यालय फाउंडेशन और रिसर्च पार्क आदि की स्थापना जैसी महत्त्वपूर्ण पहल की जा रही है। ये सभी योजनाएँ/नीतियाँ भारत की अपरिमित युवा शक्ति को रोजगारक्षम बनाने की कोशिश है। उल्लेखनीय है कि अभी तक हमारे देश के अधिकांश युवा डिग्री-धारी तो बनते रहे हैं, लेकिन रोजगार के लिए आवश्यक कौशल-धारी नहीं बनते हैं। यह पुरानी शिक्षा नीतियों की बहुत बड़ी खामी रही है। कौशलपरक शिक्षा के माध्यम से युवाओं को नौकरी पाने वाले से अधिक नौकरी देने वाले के रूप में तैयार किया जा रहा है। युवाओं की आत्मनिर्भरता ही भारत की आत्मनिर्भरता का मूलमंत्र है।

निष्कर्षत: पिछले तीन वर्षों में देश के उच्च शिक्षा तंत्र में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इन बदलावों ने उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित, शोध-केंद्रित एवं नवाचारी बना दिया है। साथ ही, कई विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धी बना दिया है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की सबसे बड़ी बाधा आर्थिक संसाधनों और ढाँचागत सुविधाओं का अभाव है। परम्परागत शिक्षा की तुलना में कौशलपरक शिक्षा के लिए कई गुना अधिक ढाँचागत सुविधाओं और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार को शिक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए। इस संकल्प से ही आत्मनिर्भरता की लक्ष्य-सिद्धि संभव है। और ऐसा करके ही भारत को एक ज्ञान अर्थ-व्यवस्था (विश्वगुरु) और विश्व शक्ति बनाया जा सकता है। ❑

कौशल विकास के भारतीय क्षेत्र

प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल

कुलपति,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

भारत में प्रतिवर्ष 1.20 करोड़ युवा श्रमशक्ति में प्रवेश करते हैं, जिसमें केवल 2 प्रतिशत युवा ही औपचारिक प्रशिक्षण लिए हुए होते हैं जबकि 98 प्रतिशत अकुशल श्रमिक होते है। भारत को विकसीत राष्ट्र बनाने के लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान की जरूरत है। इसी उद्देश्य से 15 जुलाई 2015 को 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' की शुरुआत की गयी जिसके अंतर्गत युवाओं को लघु अवधि प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाएँ, पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता एवं कौशल और रोजगार मेला का आयोजन किये जाने की आधारशिला रखी गयी जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को मुफ्त कौशल विकास का प्रशिक्षण देना है। कौशल विकास के क्षेत्र में मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की विविध कार्ययोंजना एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। जैसे-आईटीआई/ आईटीसी/ व्यावसायिक स्कूल तकनीकी स्कूल पॉलिटेक्निक पेशेवर कालेज इत्यादि संस्थान आधारित कौशल विकास, स्व-रोजगार, उद्यमीय विकास हेतु प्रशिक्षण, उद्यमों द्वारा औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षुता एवं अन्य प्रकार का प्रशिक्षण, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कौशल विकास को शिक्षण, वयस्क ज्ञानार्जन, सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों का पुन:प्रशिक्षण तथा जीवनपर्यन्त ज्ञानार्जन, नागरिक सोसाइटी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण सहित अनौपचारिक प्रशिक्षण, ई-लर्निंग/ वेब आधारित ज्ञानार्जन एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन इत्यादि।

कौशल विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति में कौशल अंतर की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना है कि वह इन कौशलों को विकसित करे। कौशल लक्ष्यों को प्राप्त करने और बेहतर योजनाओं को क्रियान्वित करने की क्षमता निर्धारित करते हैं। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए और सजग, विचारशील और नवीनतम आयामों को ग्रहण करने वाले एक सशक्त युवा वर्ग के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था कि विषयों की जानकारी के साथ-साथ बच्चे समस्या समाधान, तार्किक और रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, नया सोचें, अपने विचारों को विस्तृत करें। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित, जिज्ञासा, खोज, संवाद के आधार पर लचीली हो, समग्र हो।

कौशल विकास और सार्वजनिक क्षेत्र

कौशल विकास के क्षेत्र में भारत में मुख्य रूप से छमाही एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्य दिये जा रहे हैं। शिल्पकार-प्रशिक्षण योजना के तहत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 84 गैर इंजीनियरिंग व्यवसाय के क्षेत्र में 63 एवं दिव्यांगों के लिए 5 व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास का दायरा बहुत व्यापक है, जैसे शिल्पकारी के क्षेत्र में प्रशिक्षण, औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षण, दूरसंचार के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कौशल विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसी उद्देश्य के सन्दर्भ में अगले एक साल में 10 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल करने के उद्देश्य के

बाद, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आज केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के साथ एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। सीपीएसई को मंत्रालय द्वारा किए गए नवीनतम सुधारों और पहलों की जानकारी दी गई और कुछ और प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। केन्द्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और एमएसडीई और एमईआईटीवाई राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कार्यशाला में भाग लिया और सीपीएसई के साथ अपने विचार साझा किए कि राष्ट्र निर्माण में वे कैसे सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। कार्यशाला में 100 से अधिक सीपीएसई के सीएमडी, मानव संसाधन प्रबंधक और सीएसआर प्रमुखों ने भाग लिया, जिन्होंने प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर अपने काम को साझा किया और देश में प्रशिक्षुता मॉडल को सफल बनाने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सीपीएसई का आह्वान किया कि वे अपने स्थानीय क्षेत्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) को अपनाने, अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल करने, एनएसक्यूएफ के साथ अपने कौशल ढाँचे को श्रेणीबद्ध करने और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सीएसआर का लाभ उठाने सहित कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव तरीके तलाशे। हम एनईपी 2020 की सिफारिशों को लागू कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें अधिक जीवंत और बहुमुखी कार्यबल बनाने के लिए शिक्षा और कौशल का मजबूत एकीकरण करना चाहिए।

कौशल विकास और निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र कई प्रकार से कौशल निर्माण में मदद कर सकते हैं। बाजार में मांग का पूर्वानुमान: यह क्षेत्र रोजगार उत्पन्न करता है, उसका उपयोग करता है। अत: इस क्षेत्र को बाजार में उत्पन्न होने वाली मांग के बारे में आभास रहता है। इस जानकारी के आधार पर वह प्रशिक्षित, रोजगारपरक कुशल जनशक्ति के एक संसाधन स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है। समय की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण की स्थापना: निजी क्षेत्र यह सुनिश्चित कर सकता है कि कौशल का प्रशिक्षण रोजगारोन्मुख होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण के अनुरूप हो ताकि विश्व बाजार में भी भारत प्रतिस्पर्धा कर सके। प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ व्यवस्थित एवं व्यावहारिक तालमेल सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पहुँच, जानकारी और विशेषज्ञता एवं अपनी जरूरतों के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ एक व्यावहारिक गठजोड़ करना होगा। निजी क्षेत्र अपनी व्यावसायिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए इन प्रशिक्षण प्रदाताओं को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं।

कौशल विकास कार्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण बिना गुरु के ज्ञान होना असंभव है। कौशल विकास तभी व्यावहारिक रूप प्राप्त कर सकता है, जब प्रशिक्षक उचित मार्गदर्शन द्वारा युवाओं को कुशल श्रम शक्ति में परिवर्तित कर सकें। इसके लिए विभिन्न सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रशिक्षकों के लिए उपयोगी साबित होगी। सीएसआर कोष का उपयोग: निजी क्षेत्र के पास 2 प्रतिशत

कौशल विकास में शिक्षा पर सकारात्मक और महत्त्वतपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमताएँ मौजूद हैं। जिस बात पर अब तक बहस चल रही है, वो यह है कि शिक्षा सुधार में तकनीकी कौशल की सटीक भूमिका है। कई शैक्षणिक प्रसारण परियोजनाओं में संवादात्मक रेडियो परियोजना का सबसे ज्यादा विश्लेषण हुआ है। इसके निष्कर्ष बताते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने में कौशल विकास काफी प्रभावशाली साबित हुआ है। शैक्षणिक क्षेत्र में कौशल विकास शिक्षण गुणवत्ता एवं विकास के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नि:सन्देह शिक्षण कार्य एक कौशल है इसलिए इस कौशल को विकसीत करना आवश्यक है।

कोष का उपयोग कौशल विकास कार्यक्रम में निवेश करने के लिए अपेक्षित है।

नैतिकता एवं सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन

निजी क्षेत्र सिर्फ व्यवसाय से संबंध नहीं रख सकता। बल्कि उसकी देश के प्रति नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए निजी क्षेत्र को स्वयं आगे आना चाहिए। कौशल विकास के द्वारा लोगों को अवसर सुलभ कराना निजी क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी है। इसके लिए वे विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं की मदद भी ले सकते हैं।

शोध कार्य पर बल

आधुनिक युग में मनुष्य बहुत ज्यादा तकनीक पर निर्भर होता जा रहा है।पूरे विश्व में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। जिससे हमारा जीवन सरल बन सके, मनुष्य की जिज्ञासा पृथ्वी के बाहर सौर मंडल तक पहुँच गई है। अत: हमें पारंपरिक व्यवसाय के अतिरिक्त नई तकनीक एवं आविष्कार पर आधारित कौशल विकास की संभावनाओं पर बल देना होगा ताकि विश्व पटल पर हम अपना आविष्कारी योगदान दे सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान देना होगा ताकि समय के साथ हमारा औद्योगिक एवं तकनीकी विकास हो सके। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों का निजी क्षेत्र में सरकारी तंत्र के साथ समन्वय अपेक्षित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अनुसंधान विकास कार्यों में संभावनाएँ असीमित हैं।

उद्यमिता विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना

भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारणों में उद्यमिता की धीमी गति एवं उद्यमिता के लिए प्रतिकूल वातावरण जिम्मेदार हैं। आज भारत इस कमी को दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है ताकि उद्यमिता के लिए एक सशक्त एवं स्थाई वातावरण बनाया जा सके। सरकार इस

दिशा में तेजी से काम कर रही है। मेक इन इंडिया, ई गवर्नेंस जैसी राष्ट्रीय योजनाएँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

कौशल विकास और भारतीय शिक्षा क्षेत्र

शिक्षण कार्य शिक्षण कौशल के अभाव में संभव नहीं है। शिक्षण कार्य मात्र ज्ञान का संवाद ही नहीं बल्कि विकास के विविध आयाम भी है। इसलिए शिक्षण कार्य के लिए कौशल प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है। जिसमें परम्परागत विधि के साथ-साथ नवाचार, दूरसंचार एवं तकनीकी विकास की आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति रही है, लेकिन समय के साथ शिक्षा एवं कौशल दोनों में निरंतर बदलाव होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक उद्‌बोधन में गुणवत्ता के महत्त्व पर इन शब्दों में जोर दिया था। ''अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किंतु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।'' मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी घोषणा की थी कि ''देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होगा।''

'सूचना युग' के शैक्षिक उद्देश्यों को साकार करने के लिए शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल के आधुनिक रूपों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसे प्रभावी तौर पर करने के लिए प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों में शैक्षणिक कौशल की आवश्यकता होगी। अधिकतर लोगों के लिए यह काम न सिर्फ एक नई भाषा सीखने के बराबर कठिन होगा, बल्कि उस भाषा में अध्यापन करने जैसा होगा। शिक्षक, शोधकर्ता आदि सभी लोग व्यापक पैमाने पर इस बात से सहमत दिखाई देते हैं कि कौशल विकास में शिक्षा पर सकारात्मक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमताएँ मौजूद हैं। जिस बात पर अब तक बहस चल रही है, वो यह है कि शिक्षा सुधार में तकनीकी कौशल की सटीक भूमिका है। कई शैक्षणिक प्रसारण परियोजनाओं में संवादात्मक रेडियो परियोजना का सबसे ज्यादा विश्लेषण हुआ है। इसके निष्कर्ष बताते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने में कौशल विकास काफी प्रभावशाली साबित हुआ है। शैक्षणिक क्षेत्र में कौशल विकास शिक्षण गुणवत्ता एवं विकास के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नि:सन्देह शिक्षण कार्य एक कौशल है इसलिए इस कौशल को विकसित करना आवश्यक है। ❑

भारत की नई शिक्षा नीति का विज़न युवा वर्ग के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना है कि उनमें अपने मौलिक दायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न हो सके। सही मायने में वो वैश्विक नागरिक बनकर अपने ज्ञान, कौशल, मूल्यों का सदुपयोग करते हुए देश का नाम सतत ऊँचा कर सकें और साथ ही स्वयं भी गौरवान्वित हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा - कौशल विकास

प्रो. प्रवीन कुमार मिश्र
संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है, शिक्षार्थी का संपूर्ण विकास जिसे साक्षरता, संख्याज्ञान, तार्किकता, समस्या समाधान, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक मूल्यों के विकास के द्वारा सम्भव किया जा सके। मनुष्य का जीवन गुणों और प्रतिभाओं का भंडार है और यदि किसी भी मनुष्य के आधारभूत गुणों या ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाओं का पूर्ण सदुपयोग उसके जीवन में नहीं किया जाता तो उसके वो गुण और प्रतिभाएँ व्यर्थ ही हो जाती हैं। नई शिक्षा नीति : अब शिक्षा के साथ कौशल विकास पर भी होगा जोर, शिक्षार्थी का संपूर्ण विकास होगा।

हम अपने बाल्यकाल से एक ऐसी शिक्षा पद्धति की छत्र-छाया में पले-बढ़े जिसमें सब विद्यार्थी एक-दूसरे की देखादेखी कोर्स का चयन करते थे, न उनकी प्रतिभाओं का आकलन शिक्षक करते थे, न ही अभिभावकों की ही दूरदृष्टि इस ओर जाती थी, या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या साधारण ग्रेजुएट होकर नौकरी ढूँढ़ने की प्रथा थी।

वर्तमान के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में, छात्रों की सफलता के लिए अपेक्षित प्रासंगिक कौशल महत्त्वपूर्ण हैं। कौशल विकास में एनईपी की भूमिका को पहचानते हुए, सरकार ने एक विस्तृत रूपरेखा पेश की है जो सभी शिक्षा स्तरों पर कौशल विकास को एकीकृत करती है। बुनियादी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक, एनईपी का उद्देश्य छात्रों को तेजी से बढ़ती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए महत्त्वपूर्ण दक्षताओं और क्षमताओं से लैस करना है। कौशल विकास में एनईपी की भूमिका भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करने के लिए तैयार कुशल छात्रों की एक पीढ़ी तैयार करना है।

एनईपी 2020 की एक और उल्लेखनीय भूमिका व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर देना है। यहनीति व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इंटर्नशिप को बढ़ावा देकर शिक्षा और रोजगार के अंतर को पाटने पर जोर देती है। यह दृष्टिकोण छात्रों को व्यावहारिक कौशल और उद्योग-विशिष्ट ज्ञान से लैस करता है, जिससे उन्हें कार्यबल में निर्बाध परिवर्तन करने की अनुमति मिलती है। इसलिए कौशल विकास में एनईपी की महत्त्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को आशाजनक रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएँ और देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया जाए।

कुछ लोग सेना में या प्रतियोगिता वाली परीक्षाएँ देकर सरकारी नौकरियों में चले जाते थे। न तो मार्गदर्शन किया जाता था कि कैसे अपने गुण या प्रतिभाओं का आकलन करके सही दिशा की ओर जीवन को ले जाना चाहिए, न ही विद्यार्थियों के पास इतना समय था कि वो इस ओर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकें। वस्तुत: सारा शिक्षण का ढाँचा ही कुछ इस प्रकार था कि अधिकांशत: युवा वर्ग दिशाहारा था। शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी थी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न करती थी- मूल चिंतन और विचारधारा के विकास में अवरोध, काल्पनिक और नए वैचारिक और मानसिक शक्ति के विकास में

अवरोध, मनुष्य की मूलभूत प्रतिभाओं के विकासीकरण में अवरोध। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए और सजग, विचारशील और नवीनतम आयामों को ग्रहण करने वाले एक सशक्त युवा वर्ग के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था कि विषयों की जानकारी के साथ-साथ बच्चे समस्या समाधान, तार्किक और रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, नया सोचें, अपने विचारों को विस्तृत करें। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित, जिज्ञासा, खोज, संवाद के आधार पर लचीली हो, समग्र हो।

भारत को सतत ऊँचाईयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है कि भारत का युवा देश की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं, देश की कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ठोस ज्ञान प्राप्त करे। आजीविका और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों के कारण ये आवश्यक है कि देश का युवा इतना सक्षम हो कि विश्व पटल पर उसके आत्मविश्वास के सधे पाँव कभी लड़खड़ाए नहीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्यत: 4 भाग हैं और इसके कार्यान्वयन की पूर्णता का लक्ष्य वर्ष 2030 है ताकि वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में वर्ष 2030 तक सभी के लिए सार्वभौमिक, गुणवत्तायुक्त सतत शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

ये चार भाग हैं- स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वयन की रणनीति।

स्कूली शिक्षा में बदलाव

स्कूल शिक्षा में मुख्य परिवर्तन ये किया जा रहा है जिसमें वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था (जो कि 6 वर्ष की आयु से आरंभ होती थी) को 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये नए शैक्षणिक और पाठ्यक्रम के आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाएगा। 3 से 5 वर्ष तक फाउंडेशनल, अगले 3 वर्ष प्रीपरेटरी, अगले 3 वर्ष मिडिल और अंतिम चार वर्ष सेकंडरी ढाँचे को दिए जाएँगे।

3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-भाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई- अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) की एक मजबूत बुनियाद को इस नई शिक्षा नीति में शामिल किया जा रहा है, जिससे कि सही दिशा में सीखने की कला विकसित की जा सकें। द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय पुस्तकालयों में सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे बाल्यकाल से ही पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त भी अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत का विकास हो सके। स्कूल शिक्षा नीति में इन विभिन्न आयामों पर नए मापदंड लगाए जाएँगे- प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या घटाना और सभी स्तरों पर शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, विद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षण, शिक्षकों के लिए नए निर्णय, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, स्कूल कॉम्प्लेक्स /क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस, स्कूल की शिक्षा हेतु मानक निर्धारण और प्रमाणन।

उच्चतर शिक्षा में बदलाव

युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य युवा को समाज और देश की

समस्याओं के लिए प्रबुद्ध, जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है ताकि युवा नागरिकों का उत्थान कर सकें और समस्याओं के सशक्त समाधान ढूँढ़ कर और उन समाधानों को कार्यान्वित करके एक प्रगतिशील, सुसंस्कृत, उत्पादक, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकें।

उच्चतर शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न आयामों की ओर ये नई शिक्षा अग्रसर होती है जिसमें मुख्य हैं - गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा, सीखने हेतु सर्वोत्तम वातावरण और छात्रों को सहयोग, प्रेरणादायक, सक्रिय और सक्षम संकाय, शिक्षा में समता का समावेश, भविष्य के अध्यापकों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा का नवीन रूप, गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली और आजीविका और धनार्जन की सक्षमता का एक मापदंड अंग्रेज़ी भाषा भी है जो कि देश के अधिकांशत: युवा वर्ग के आत्मविश्वास की कमर तोड़ कर रख देता है और किसी न किसी पटल पर उनको कमतर साबित कर देता है, चाहे वो युवा कितना भी ज्ञान से भरा हुआ क्यों न हो। नई शिक्षा प्रणाली स्थानीय/भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करती है।इसके अतिरिक्त बहु विषयक विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थान (एच.ई.आई.- हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स) सुगठित किए जाएँगे। शोध गहन विश्वविद्यालय शोध को महत्त्व देने वाले होंगे जबकि शिक्षक गहन विश्वविद्यालय गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण अनुसंधान का संचालन भी करेंगे। स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज स्नातक शिक्षण पर केंद्रित रहेंगे, ये तीनों ही संस्थान एक निरंतरता के साथ होंगे। अभी देश में एच.ईआई. का नामकरण विभिन्न नामों से है जिसे मानकों के अनुसार मापदंड पूरा करने पर केवल 'विश्वविद्यालय' के नाम से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

कौशल विकास पर जोर देती नई शिक्षा नीति

भारत में समग्र और बहु विषयक शिक्षा की प्राचीन परंपरा है, ज्ञान का विभिन्न कलाओं के रूप में दर्शन भारतीय चिंतन की देन है जिसे पुन: भारतीय शिक्षा में शामिल किया जाएगा, इसका एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि युवाओं के लिए कभी भी भविष्य में अर्थोपार्जन का कोई रास्ता बंद नहीं होगा और वो अपने संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग स्वयं के व्यक्तिगत विकास में, सामाजिक और राष्ट्र के विकास में कर पाएँगे।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की छूट दी जाएगी जैसे 3 वर्ष के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय कार्यक्रम, 4 वर्ष के शोध स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम और 5 वर्ष का एकीकृत स्नातक कार्यक्रम हो सकते हैं। सीखने की आकर्षक और सहायक पद्धतियों के लिए विभिन्न पहल की जाएँगी जैसे कि उच्चतर शिक्षा में नई रचनात्मकता लाने के लिए पद्धति में नवाचार और लचीलापन लाना होगा और सी.बी.सी.एस. (चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) का संशोधन करना होगा। उसकी जगह एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण होगा जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करेगा जिससे एक निष्पक्ष प्रणाली बन सकेगी।

दूसरा, छात्रों में गुणवत्ता पूर्ण आदान प्रदान हेतु विभिन्न क्लब और गतिविधियाँ कराई जाएँगी, जिससे कि एक स्वतंत्र माहौल में शिक्षकों का संबंध विद्यार्थियों के मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में भी हो।

तीसरा, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को आर्थिक सहायता ही नहीं अपितु उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बेहतर बनाने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किए जाएँगे।

चौथा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता के लिए रूपरेखा तैयार करके नवीनीकृत किया जाएगा। और अंत में सारे कार्यक्रमों का यही लक्ष्य होगा कि सभी कार्यक्रम गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाएँ, इससे एक बहुत बड़ा देश को लाभ ये होगा कि युवा वर्ग दूसरे देशों की ओर कम आकर्षित होंगे और देश की प्रतिभाओं का सदुपयोग देश के विकास के लिए हो पाएगा।

सशक्त शिक्षा नीति विकास का आधार

अन्तरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को भी भारत के शिक्षण संस्थान आकर्षित करेंगे और भारत विश्वगुरु के रूप में अपनी नई पहचान बना पाएगा। युवा वर्ग का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना निर्भीकता से कर पाएँगे। किसी भी देश के विकास, संपन्नता और सुदृढ़ सांस्कृतिक विकास का आधार सशक्त शिक्षा नीति होती है और नई शिक्षा नीति ऐसे सभी पहलुओं को लेकर चलेगी जिससे कि सारे ऊँचे मानकों पर स्वयं को स्थापित कर सके।

भारत की नई शिक्षा नीति का विज़न युवा वर्ग के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना है कि उनमें अपने मौलिक दायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न हो सके। सही मायने में वो वैश्विक नागरिक बनकर अपने ज्ञान, कौशल, मूल्यों का सदुपयोग करते हुए देश का नाम सतत ऊँचा कर सकें और साथ ही स्वयं भी गौरवान्वित हो सकें। ❑

एनईपी में उच्च शिक्षा - कौशल विकास

डॉ. दीपेन्द्र सैनी
सहायक आचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
लक्ष्मणगढ़, सीकर (राज.)

नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यापक, सुधार प्रस्तावित करती है। नीति के अनुसार 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से पीछे नहीं है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थी को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो।

नीति का विजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवता की शिक्षा उपलब्ध कराके तथा भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।

नीति में उच्च शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का द्वितीय भाग उच्च शिक्षा को समर्पित है। नीति में उच्च शिक्षा के सभी आयामों यथा-संस्थागत सुधार, समग्र व बहुविषयक शिक्षा, सीखने के अनुकूल वातावरण, संक्षम संकाय, उच्च शिक्षा में समता व समावेश, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अकादामिक अनुसंधान, नियामक प्रणाली तथा शिक्षा प्रशासन व नेतृत्व पर समग्रता से विचार किया गया है।

शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित प्रमुख सुधार निम्नानुसार है -

1. विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय व महाविद्यालय (HEI)- प्रत्येक जिले या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर ऐसे ही HEI की स्थापना करना।
2. अधिकतर उच्च शिक्षण संस्थान स्थानीय/भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान करें।
3. संकाय व संस्थागत स्वायत्तता को बढ़ावा देना।
4. पाठ्यचर्चा,शिक्षण-शास्त्र, मूल्यांकन पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करना।
5. शिक्षण, अनुसंधान व सेवा के आधार योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
6. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु।
7. उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रशासन उच्च योग्यता वाले बोर्डो के माध्यम से करना।
8. अन्य विविध सुधार - ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा, मुक्त दूरस्थ शिक्षा, दिव्यांगों शिक्षार्थियों हेतु बुनियादी ढांचा आदि।

9. उच्च शिक्षा हेतु एकल विनियामक की स्थापना करना।
10. उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करना।
11. अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा- कैंपस एक्सचेंज, विदेशी टॉप उच्च संस्थानों के कैंपस खोलना, भारतीय उच्च संस्थानों के कैपस विदेशों में खोलना आदि उपायों से भारत को वैश्विक शैक्षणिक गणतंव्य स्थान के रूप में प्रोत्साहित करना।
12. मल्टीपल एक्जिट एवं एंट्री व्यवस्था को लागू करना।
13. विषयों के चयन में नवाचार कर विभिन्न संकायों के विषय-संयोजन को बढ़ावा देना।
14. 4 वर्षीय स्नातक के बाद सीधा पीएचडी में प्रवेश का प्रावधान, एम.फिल.डिग्री को समाप्त करना।
15. उच्च शिक्षण संस्थानों में एन.टी.ए. के माध्यम से प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था करना।

नई शिक्षा नीति में कौशल विकास

व्यावसायिक शिक्षा एक अनुमान के अनुसार 19-24 आयुवर्ग के भारतीय श्रमबल में से केवल 5 प्रतिशत लोगों ने ही औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। यह अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका (52 प्रतिशत), जर्मनी 75 प्रतिशत, और दक्षिणी कोरिया 96 प्रतिशत की तुलना में अत्यकिध कम है।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होने का करण यह रहा है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्यत: कक्षा 11-12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के ड्रॉपआउट्स पर केंद्रित थी। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के पास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट विकल्प उपलब्ध नहीं था।

भारतीय समाज में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता रहा है ऐसा धारणा विद्यार्थियों के विकल्पों के चुनाव के निर्णय को प्रभावित करती है। अत: नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा की निम्नतर सामाजिक पाठ्यानुक्रम की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का द्वितीय भाग उच्च शिक्षा को समर्पित है। नीति में उच्च शिक्षा के सभी आयामों यथा-संस्थागत सुधार, समग्र व बहुविषयक शिक्षा, सीखने के अनुकूल वातावरण, संक्षम संकाय, उच्च शिक्षा में समता व समावेश, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अकादामिक अनुसंधान, नियामक प्रणाली तथा शिक्षा प्रशासन व नेतृत्व पर समग्रता से विचार किया गया है।

नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित नवाचार/प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं -

1. वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के मध्यम से न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
2. अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा।

इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, आईटी आई पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों आदि के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे।

- स्कूलों में हब व स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी।
- उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं या उद्योगों या गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे।
- उच्च शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी।
- ''लोक विद्या'' अर्थात् भारत में विकसित महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण किया जाएगा।
- ओडीएल मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने का प्रयास किया जाएगा।
- व्यावसायिक शिक्षा के फोक्स एरिया का चुनाव स्किल गैप एनालिसिस और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय व्यवसाय रोजगार के लिए अधिक विस्तारपूर्वक निर्मित किया जाएगा। ❑

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा : कौशल विकास

डॉ. रीना बाला
भूगोल संकाय,
डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

भारत एक युवा देश है, जिसमें लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य देश के लाखों युवाओं को कार्य कुशल बनाना है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा देश के हर हिस्से में कौशल केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में युवाओं को अलग-अलग उद्योग से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। इस योजना के तहत देशभर में 25 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित किये गये हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य भारत के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। एनईपी 2020 को एक शिक्षा नीति के रूप में डिजाइन किया गया है जो छात्रों के व्यक्तित्व और कौशल विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी, उद्यमशीलता की भावना विकसित करेगी, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगी।

वर्ष 2022 के विश्व युवा कौशल विकास दिवस की थीम ''भविष्य के लिए युवा कौशल का बदलाव'' है। यह थीम युवाओं को कौशल प्रदान करने पर ध्यान आकर्षित करती है। उल्लेखनीय है कि कौशल ही वह योग्यता है, जो उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए सहज बना सकता है, नौकरियों में उनकी उत्पादकता में सुधार कर सकता है, उनकी रोज़गार क्षमता में वृद्धि कर सकता है और उन्हें भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकता है।

कौशल विकास में एनईपी की भूमिका महत्वपूर्ण है। नीति मानती है कि सफलता के लिए केवल अकादमिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए, नीति समस्या-समाधान, आलोचनात्मक सोच, संचार और डिजिटल साक्षरता जैसे कौशल को पाठ्यक्रम में एकीकृत करती है, जिससे छात्र 21वीं सदी के नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौशल विकास में एनईपी की भूमिका को पहचानते हुए, सरकार ने एक विस्तृत रूपरेखा पेश की है जो सभी शिक्षा स्तरों पर कौशल विकास को एकीकृत करती है। बुनियादी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक, एनईपी का उद्देश्य छात्रों को तेजी से बढ़ती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए महत्त्वपूर्ण दक्षताओं और क्षमताओं से लैस करना है। कौशल विकास में एनईपी की भूमिका भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करने के लिए तैयार कुशल छात्रों

की एक पीढ़ी तैयार करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है ''आज के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है।'' यह आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी जिससे वह कम से कम एक व्यवसाय सीख सके तथा अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल करके उन्हें कई और व्यवसाय में शामिल कर सके। भविष्य के कार्य बल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की जो आवश्यकता है वह है आईटी, अक्षय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, बिजली, पर्यटन, दूरसंचार और रसायन।

21वीं सदी के कौशल के अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे उभरते रुझानों को तलाशने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ाने और विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उनके दृष्टिकोण का विकास करना है। हाल में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन में इस पर भी सहमति बनी कि समूह के सदस्य देश वैश्विक स्तर पर कौशल की कमी को दूर करने पर नीति बनाएंगे और कौशल रोजगार के लिए डाटा बेस तैयार करेंगे। जी-20 के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सभी देश गुणवत्ता युक्त शिक्षा, अनुसंधान और शोध पर भी मिलकर काम करेंगे। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन्हीं सब बिंदुओं को शामिल किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संबोधित करने का लक्ष्य रखा गया है, वह है सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। इसे सक्षम करने के लिए अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और दोनों के बीच गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत क्रेडिट संचय और हस्तांतरण ढाँचा तैयार किया जा रहा है। यह व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक आकांक्षी बनने में मदद करेगा और दोनों के बीच अलगाव को दूर करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न मॉडलों को भी प्रोत्साहित करती है ताकि स्थानीय रूप से प्रासंगिक कौशल शिक्षा को उचित तरीके से पेश किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके समग्र विकास के महत्त्व को स्वीकार करती है। यह छात्रों को महत्त्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देते हुए कई विषयों और विषयों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। व्यावसायिक एवं कौशल विकास योजना को लागू करने की योजना के तहत घरेलू एवं वैश्विक जरूरतों के आकलन के लिए उद्योगों की मदद ली जा रही है ताकि शिक्षा के बाद रोजगार की समस्या को दूर करने के साथ उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

भारत में कौशल विकास तथा बेरोज़गारी की समस्या के मूल में स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की अनुपस्थिति तथा विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन है। भारत विभिन्न विकसित देशों एवं पूर्वी एशिया के देशों से प्रेरणा ले सकता है, साथ ही भारत स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर अपनी बड़ी युवा आबादी को जनसांख्यिकीय लाभांश में तब्दील कर सकता है। भारत में वर्ष 2021 में बेरोज़गारी दर 28.26 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2020 में 24.9 प्रतिशत थी और 2018 में बेरोज़गारी दर 23 प्रतिशत थी। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है तथा संकेत मिलता है कि भारत के मौजूदा संस्थागत प्रशिक्षण ढाँचे में व्यापक पैमाने पर बदलाव करने की और उसे प्रासंगिक बनाने की ज़रूरत है।

एनईपी 2020 की एक और उल्लेखनीय भूमिका व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर देना है। कौशल विकास में एनईपी की महत्त्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को आशाजनक रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएँ और देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके समग्र विकास के महत्त्व को स्वीकार करती है। यह छात्रों को महत्त्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देते हुए कई विषयों और विषयों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। व्यावसायिक एवं कौशल विकास योजना को लागू करने की योजना के तहत घरेलू एवं वैश्विक जरूरतों के आकलन के लिए उद्योगों की मदद ली जा रही है ताकि शिक्षा के बाद रोजगार की समस्या को दूर करने के साथ उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसका उद्देश्य शिक्षा के बाद रोजगार की समस्या को दूर करने के साथ ही उद्योगों की जरूरतों को पूरा करना है। ❑

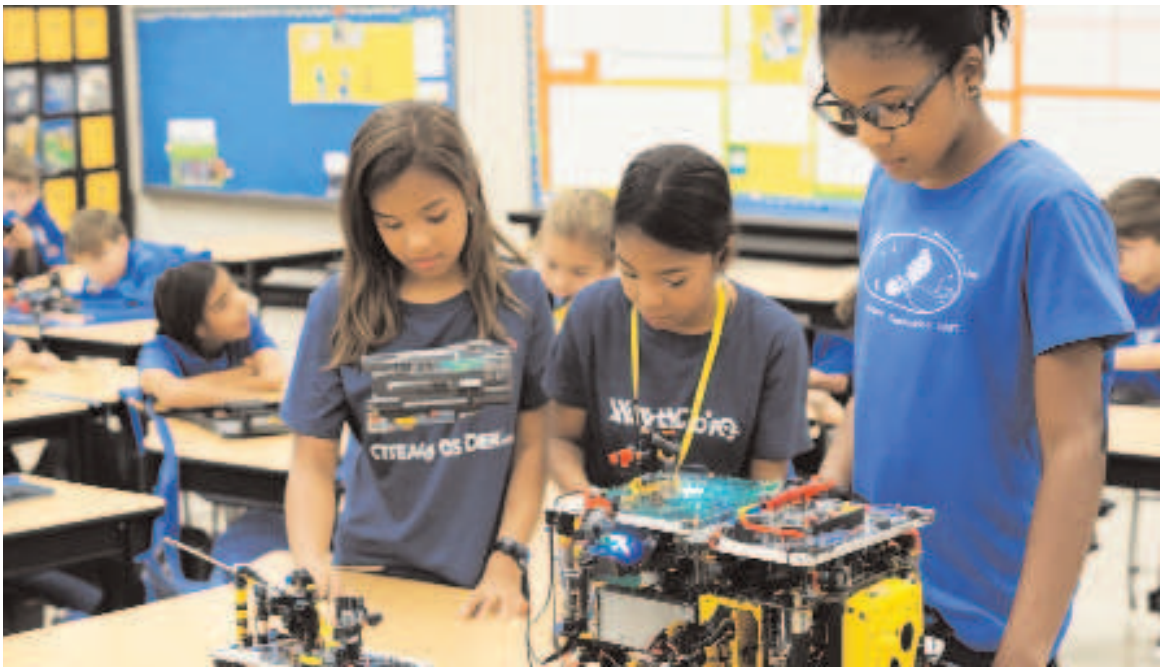

तकनीकी शिक्षित युवा-भारत की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता

डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी
प्रिन्सिपल, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय, मांडलगढ़, भीलवाड़ा (राज.)

देश की अर्थव्यवस्था द्रुत गति से बढ़ रही है। साथ ही देश के अंदर युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। द्रुत गति से विकसित अर्थव्यवस्था में युवाओं का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है। यदि हम सोचे की अर्थव्यवस्था में गति और भी बड़े तो निश्चित है हमें तकनीकी शिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने पड़ेंगे। विश्व में जापान, दक्षिणी कोरिया, सयुंक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी इन सब देशों में तकनीकी दृष्टि से शिक्षित युवा बहुत अधिक मात्रा में अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। भारत से तकनीकी शिक्षित युवा अमेरिका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और इंग्लैंड और जर्मनी में भी भारत के युवाओं की मांग है। अभी पिछले कुछ वर्षों से स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या पश्चिमी यूरोप आदि में भारतीय युवाओं की माँग बढ़ रही है। देश के अंदर भारत के युवा अपनी क्षमता के आधार पर आईटी क्षेत्र एवं अन्य तकनिक में अपनी योग्यता के आधार पर देश का विकास कर रहे हैं। परंतु आज जिसकी आवश्यकता इस देश को लग रही है वह है कौशल युक्त युवा। देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों युवा रोजगार के लिए प्रयासरत है। उनमें महिलाएँ विशेष कर अधिक रोजगार की तलाश में है जबकि हमारे देश में महिलाओं का कार्यशील प्रतिशत भी युवाओं की तुलना में आधा भी नहीं है। अत: केरल से लगाकर जम्मू कश्मीर तक हमें रोजगार के अवसरों में महिलाओं के लिए भी कौशल कार्यों का विकास करना आवश्यक है जिससे हम आसानी से विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। पिछले 5 सालों में भारत की आय 56 प्रतिशत बड़ी है परंतु महंगाई का प्रतिशत भी 120 प्रतिशत से अधिक रहा है। अर्थव्यवस्था बड़े, महंगाई कम हो और रोजगार बढ़े तो निश्चित ही देश विश्व की

अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति में आएगा। देश में दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड हुआ है। कृषि उत्पादन का रिकॉर्ड बना है। आईटी क्षेत्र में हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। एविएशन क्षेत्र में हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। विश्व को हमने अपना लोहा मनवा लिया है। अब हमें आवश्यकता है आगे आने वाले समय में कौशल युक्त युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की। इसलिए जितने कौशल युवा होंगे उतने ही भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निश्चित मानकर चलना चाहिए कि भारत आने वाले समय में युवाओं का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण रोजगार के लिए नये अवसर युवाओं की आवश्यकता है और इन आवश्यकताओ को हमें पूरा करना पड़ेगा।

देश में युवाओं की जनसंख्या

भारत में 2023 में 142 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। वहीं भारत में 18 से 25 वर्ष की युवा लगभग 37 करोड़ हो चुके हैं। इन युवाओं को रोजगार की तलाश है। इसलिए हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि वर्तमान में यह कितने प्रतिशत तकनीकी दृष्टि से शिक्षित है। मैं आपको एक आँकड़ा निवेदन करना चाहता हूँ। भारत के 56 करोड़ कार्यशील लोग हैं। जापान में लगभग 68 प्रतिशत लोग कार्यशील, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 60 प्रतिशत लोग कार्यशील हैं, कोरिया में लगभग 65 प्रतिशत हैं। हमारे यहाँ कार्यशील युवाओं की कमी है। इस कार्यशील युवाओं की कमी को हमें दूर करना पड़ेगा । पिछले दिनों wiser की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में जितने स्टार्टअप खड़े किए हैं उनमें 18 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा खड़े किए गए हैं। अर्थात् विश्व में 80000 स्टार्टअप में से 14400 महिलाओं ने खड़े किए हैं। भारत में इसका प्रतिशत बहुत कम है। हमें भारतीय उच्च शिक्षित महिलाओं को रोजगार युक्त करना पड़ेगा। भारत के उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष के युवाओं में 27 प्रतिशत का रजिस्ट्रेशन है। आने वाले समय में आईटीआई या परंपरागत कौशल शिक्षा, बहुत एडवांस में हमें देनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं की माँग के आधार पर युवाओं को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि भारत युवाओं का देश है, आने वाले समय में भारत के समक्ष इन युवाओं को रोजगार देने के लिए एक रोड मेप बहुत आवश्यक है। उसका आधार बनेगा कौशल शिक्षा।

देश के नये स्टार्टअप

भारत में 2022 में 25 से अधिक नए स्टार्टअप उभर कर आये हैं। इन स्टार्टअप में GROWW, CRED, VARNACULAR.AI, MEESHO, NYKAA, SWIGGY, postman, nmobi, Ather, phonepe , policy bazar, paytm महत्त्वपूर्ण है। देश के अंदर निरंतर रूप से युवा न्यू स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप मे सबसे अग्रणी भूमिका कर्नाटक में बेंगलुरू, तेलंगाना में हैदराबाद अग्रणी है। महाराष्ट्र, हिमाचल, दिल्ली में भी नवाचार हो रहे हैं। हम सभी युवाओं को प्रेरित करें कि नवाचार में वह संलग्न हो। इसके लिए हमें काम करने होंगे। भारत में हैंडीक्राफ्ट पिछले 2022 की तुलना में 15 प्रतिशत बढ़ा है। ग्रीन

एनर्जी सेक्टर में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा 40 वाँ स्थान हो गया है। आने वाले समय में भारत विश्व में अग्रणी ग्रीन एनर्जी सेक्टर होगा। कॉलेज स्तर पर भी हम यह कार्य काफी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हम विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए करियर विकल्प कैसे बनाएँ, इस पर कार्यशालाएँ भी प्रदान कर सकते हैं। हमारे द्वारा प्रदर्शनियों और रोजगार मेलों की व्यवस्था की जा सकती इस कार्य को हम सभी को मिलकर खड़ा करना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के विकल्पों का विस्तार किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल शिक्षा की आवश्यकता

ना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल शिक्षा की आवश्यकता है बल्कि कौशल शिक्षा में महिलाओं के प्रतिशत को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के अंदर इस समय महिलाओं का प्रतिशत 50 प्रतिशत के आसपास है। लेकिन भारत में कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 25 प्रतिशत से भी कम है। हम लोग विचार करें कि इस प्रतिशत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। भारत की 100 करोड़ ग्रामीण आबादी में अधिकांश महिलाएँ कृषि और उससे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। परंतु यदि ग्रामीण क्षेत्रों में हम कुशल रोजगार खड़े करना चाहते हैं तो हमें वहां की लोकल रिसोर्स और वहाँ की लोकल मानवीय श्रम के साथ में तकनीक का मिश्रण करते हुए रोजगार खड़े करने चाहिए। 7 लाख स्वयं सहायता समूह भारतवर्ष में कार्यरत है। इन स्वयं सहायता समूह में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रुपये 100000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा उसके बैंक खाते में रुपये 5000 ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा 2021 से उपलब्ध है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में अनेकों महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना में

कई कौशल महिलाओं को खड़ा किया जा रहा है। छोटे-छोटे रूप में स्टार्टअप खड़ा करने के लिए योजनाएँ चल रही है। भारत में स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों में महिलाओं को रोजगार देने के लिए विशेष योजनाएँ चल रही है। अटल मिशन योजना में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए कई योजनाएँ चल रही है। 2022 के अनुसार भारत में जितने स्टार्टअप है उनमें 20 प्रतिशत लगभग महिलाओं द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। महिलाओं में से कुछ प्रमुख नाम जिनका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है, ज्योतिमयी हैं, जिन्होंने चेन्नई में पर्यावरण-अनुकूल कपड़ों का एक स्टार्टअप स्थापित किया है। भारत में महिलाओं द्वारा कई स्टार्टअप स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ एग्री वेस्ट पर भी काम कर रहे हैं। क्लाइंब फूड के जरिए चीले बनाए जा रहे हैं। किताबों और उसके विभिन्न उपयोगों पर प्रीति सिंह द्वारा एक स्टार्टअप स्थापित किया गया है। पानी से फ्लोराइड हटाने के लिए स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। हर घर में बारकोड लगाकर बैंकों का काम किया जा सकता है। इस पर स्टार्टअप शुरू किये गये हैं। इसका मतलब यह है कि महिलाएँ कई अनोखे काम कर रही हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने नजदीकी क्षेत्र में किस तरह के स्टार्टअप स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। आज हमें देश के अंदर ही रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने चाहिए ताकि न केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो बल्कि महिलाएँ भी उन कार्यों को करने में आगे आएँ। ❑

भारत में स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों में महिलाओं को रोजगार देने के लिए विशेष योजनाएँ चल रही है। अटल मिशन योजना में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए कई योजनाएँ चल रही है। 2022 के अनुसार भारत में जितने स्टार्टअप है उनमें 20 प्रतिशत लगभग महिलाओं द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। महिलाओं में से कुछ प्रमुख नाम जिनका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है, ज्योतिमयी हैं, जिन्होंने चेन्नई में पर्यावरण-अनुकूल कपड़ों का एक स्टार्टअप स्थापित किया है।

उच्च शिक्षा में कौशल विकास और राष्ट्रीय विकास

डॉ. प्रमोद कुमार
सहायक प्रोफेसर
प्राणीशास्त्र विभाग,
स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज
अलीपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा में कौशल विकास क्या है, कौशल का अर्थ यह है कि विद्यार्थी/ छात्रो को ग्रेड से परे।

सोचने का विकास हैं। जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं या योग्यताओं का उपयोग करते हुए, वास्तविक जीवन में कौशल विकसित करने और अपनी इच्छानुसार कैरियर में सफल होने के लिए खुद को तैयार मैं सहयोग करता है। इससे देश का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों की सूची मे अग्रसर होगा। देश के युवाओं में कौशल के विकास के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए या अपनी क्षमतानुसार अपनी योग्यताउच्च शिक्षा ओं का प्रदर्शन करने के लिए देश के महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। जिसे उच्च शिक्षा या राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति (NEP 2020) में कौशल विकास पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए युवाओं को नये स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जायेगा, जिससे राष्ट्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

उच्च शिक्षा में कौशल विकास

उच्च शिक्षा में कौशल विकास के पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने करने लिए नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का मौजूदा तैयार कर देश के युवाओं को अपने मन प्रसन्न या इच्छानुसार या अपनी योग्यताओं/काबिलियत के अनुसार अर्थात् अपने अंदर के हुनर के अनुसार अपनी सृजनात्मक एवं कला का उचित विकास करते हुए स्वरोजगार के सुअवसर प्रदान करना ही सही मायने में उच्च शिक्षा में कौशल का विकास कहलाता है। इसके

लोक कला एवं संस्कृति के रूप में कालबेरिया नृत्य, हस्तकला के रूप (रूमादेवी हस्तकला कौशल प्रशिक्षण केंद्र), उस्तकला, लघु उद्योग जैसे मधुमक्खपालन, मछलीपालन, रेशमी किट पालन तथा वर्मी कल्चर आदि। कृषि के क्षेत्र में जैसे – जैविक खाद, नैनो यूरिया एवं आधुनिक कृषि उपकरण का उपयोग आदि। शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों से शिक्षण संस्थानों में कौशल व नवाचार का विकास होगा हश्और साथ साथ अनुसंधान क्षेत्र में नई आविष्कार होगे। पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग या पुनः चक्रीय प्रक्रिया से प्रदूषण को कम किया जाएगा। उच्च शिक्षा में कौशल विकास के कार्यक्रमों से अवश्य राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा।

लिए उच्च शिक्षा में कौशल विकास के विशेष विषयों का शामिल करना और उचित मंच प्रदान कर अपनी योग्यताओं कर सके जिससे राष्ट्र विकास में अहम योगदान होगा।

कौशल विकास से राष्ट्र विकास

उच्च शिक्षा में कौशल विकास से राष्ट्रीय विकास के निम्न मार्ग अग्रसर होंगे।

जीडीपी में वृद्धि

उच्च शिक्षा में कौशल विकास के पाठ्यक्रम को शामिल करने से बेरोजगारी की दर में कमी आयेगी जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी जो निश्चित ही देश की जीडीपी में अहम योगदान होगा।

स्वरोजगार के अवसर

युवाओं में कौशल विकास या प्रशिक्षण कार्यक्रम से नए स्वरोजगार के आयामों का विकास होगा जिससे आज के में सरकारी नोकरी के पीछे भागने की बजाय स्वरोजगार की ओर ध्यान देगे जिससे युवाओं को देश में रोजगार के अनेकों अवसर प्रदान होंगे।

नवाचार और उद्यमिता

कौशल विकास से विद्धार्थियों में एक नई सोच एवं सृजनात्मकता दृष्टिकोण का उद्विकास होगा, जिससे देश नए ऊँचाइयों को हासिल करेगा।

वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति

छात्रों में कुशल विकास के निपुणता से सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, जो अंधविकास को खत्म करेगा। कौशल विकास से देश में नए वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकियों का जन्म होगा, जिससे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा।

आत्मनिर्भरता में वृद्धि

छात्रों में कौशल विकास से रोजगार के अनेकों नए-नए आयामों का विकास होगा जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। जो अपने अपने क्षेत्रों में सक्षम होकर राष्ट्र विकास में योगदान देंगे। जैसे - कृषि में आत्मनिर्भरता एक

उदाहरण है।

निर्यात में वृद्धि

कौशल विकास से नए नए उत्पादकों या वस्तुओं के निमार्ण से देश में निर्यात आयामों में बढ़ोतरी होगी जिससे एक नए विकसित भारत की कल्पना साकार होगी और देश मुद्रा एवं जीडीपी में प्रगतिशील वृद्धि देखने को मिलेगी।

उच्च शिक्षा में कौशल विषयों से अपनी कला में निपुणता व कुशलता, स्वरोजगार के आयामो से एक विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी।

सारांश :

उच्च शिक्षा (Higher Education) के पाठ्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या कौशल के विभिन्न विषयों के चयनो एवं अपने कौशल को विकसित करने से विद्यार्थियों में नई सोच या नवाचार, कौशलता एवं सृजनात्मक का विकास तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उद्विकास होगा। इससे निश्चित देश नई बुलंदियों को प्राप्त करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विकसित भारत के रूप अपनी नई पहचान बनायेगा। उच्च शिक्षा में कौशल विकास के कार्यक्रमों से निम्न विकास होगे जैसे तमाम उदाहरण है - वैज्ञानिक व तकनीकी के रूप में आधुनिक युद्ध विमान, वंदे भारत, भारतमाला परियोजना, 5 जी मोबाइल नेटवर्क सिस्टम, कोविड टीके तथा मिशन चंद्रमा आदि। लोक कला एवं संस्कृति के रूप में कालबेरिया नृत्य, हस्तकला के रूप (रूमादेवी हस्तकला कौशल प्रशिक्षण केंद्र), उस्तकला, लघु उद्योग जैसे मधुमक्खपालन, मछलीपालन, रेशमी किट पालन तथा वर्मी कल्चर आदि। कृषि के क्षेत्र में जैसे - जैविक खाद, नैनो यूरिया एवं आधुनिक कृषि उपकरण का उपयोग आदि। शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों से शिक्षण संस्थानों में कौशल व नवाचार का विकास होगा ह्श्रऔर साथ साथ अनुसंधान क्षेत्र में नई आविष्कार होगे। पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों का पुन: उपयोग या पुन: चक्रीय प्रक्रिया से प्रदूषण को कम किया जाएगा। उच्च शिक्षा में कौशल विकास के कार्यक्रमों से अवश्य राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। ❑

उच्च शिक्षा में कौशल विकास द्वारा राष्ट्रीय विकास

डॉ. पाणिनि नीमड़
सहायक आचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
खण्डेला

राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक प्रगति व विकास हेतु यह आवश्यक है कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के साथ उसमें विशिष्ट प्रौद्योगिकी-तकनीकी क्षमता एवं कौशलों का विकास कर सम्मानजनक जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जा सकता है। भारत आज 29 वर्ष की औसत आयु के साथ विश्व के सबसे युवा वर्ग की जनसंख्या वाले देशों में से एक है। वर्तमान में कुल जनसंख्या का 55.8 प्रतिशत भाग 20-59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या वाला है जो जनसांख्यिकीय लाभांश हेतु अनुकूलतम स्थिति है। लेकिन इस स्थिति को राष्ट्रीय विकास में अधिकतम भागीदारी में बदलने हेतु युवा वर्ग को उपयुक्त कौशल युक्त बनाना जरूरी है। NSSO, की 68वीं रिपोर्ट (2011-12) के अनुसार 15-59 वर्ष आयु के व्यक्तियों में से औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 2.2 प्रतिशत एवं गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या 8.6 प्रतिशत है, जबकि USA में 52 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत जनसंख्या व्यावसायिक प्रशिक्षित है।

उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास

भारत प्राचीन काल से कुशल कामगारों एवं शिल्पकारों का राष्ट्र रहा है जिसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है। तक्षशीला एवं नालन्दा के विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं सीखने के मूल में व्यावसायिक शिक्षा पर समान बल दिया गया था, जहाँ उत्तम शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था।

शिक्षा के तथाकथित आधुनिक प्रणाली की शुरूआत से भारत में सदियों से चली आ रही कौशल आधारित शिक्षा पर कुठाराघात किया गया तथा इसके तहत औपचारिक शिक्षा व्यवस्था व व्यावसायिक शिक्षा में अन्तर उत्पन्न कर दिया गया, फलस्वरूप आज तक व्यावसायिक शिक्षा को बहुधा हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये कृत्रिम भेद स्वतंत्रता पश्चात की शिक्षा नीतियों (1968 एवं 1986 की नीतियों) में कुछ बदलावों के साथ अनवरत चलता रहा जिनका मूल उद्देश्य 'लर्निंग आउटकम एप्रोच' रहा। फलस्वरूप इन शिक्षा नीतियों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास एक विकल्प के रूप में उन छात्रों हेतु माने गये जो लर्निंग आउटकम आधारित औपचारिक शिक्षा प्राप्ति में सामान्यत: सक्षम नहीं हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उच्च शिक्षा में कौशल विकास की उत्प्रेरक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। इस शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करके भारतीय संस्कृति की जीवन्तता को बनाये रखना एवं देखभाल

करना है। नई शिक्षा नीति में शैक्षिक मानकों में सुधार हेतु बल दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से नवीन शिक्षा पद्धति में बहुविषयक अध्ययन, व्यावसायिक विषयों में गहराई तक अध्ययन, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता एवं 21वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। यह सभी शैक्षणिक संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल देती है। इस हेतु नीति में 'लर्निंग आधारित दृष्टिकोण' की जगह स्किल आधारित दृष्टिकोण को महत्त्व दिया गया है।AISHE की रिपोर्ट (2020-21) के अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थानों में 61 प्रतिशत में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए गये हैं जिसे सार्वभौमिक स्तर तक ले जाने का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति की प्रमुख पहल जो उच्च शिक्षा में कौशल विकास हेतु सहायक होगी, वह है -

UNO के सतत विकास के लक्ष्य संख्या 4.4 को ध्यान में रखते हुए 2025 तक स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से न्यूनतम 50 प्रतिशत छात्रों को कौशल विकास शिक्षा के अनुभव प्रदान करने की कार्ययोजना पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति सकल नामांकन दर के साथ ही होगी जो 2020-21 में 27.3 प्रतिशत (18-23 आयु वर्ग हेतु) थी।

हब एवं स्पॉक मोडल पर आधारित कौशल प्रधान प्रयोगशालाएँ बनायी जायेंगी जिसमें गैर सरकारी संगठन एवं निजी उद्योगों द्वारा सहभागिता पर बल दिया गया है ताकि व्यावहारिक प्रशिक्षा मिल सके।

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा अल्प अवधि के कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी।

उच्च शिक्षा पद्धति में किया गया कौशल विकास नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा, फलस्वरूप वर्तमान विद्यार्थी भावी उद्यमी के रूप में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास व व्यावसायिक तन्त्र के निर्माण में महती भूमिका निभायेंगे, जो कि अन्ततः देश के आर्थिक आत्मनिर्भरता, ढाँचागत विकास के सुदृढ़ीकरण एवं वैश्विक स्तर के कुशल श्रमबल का निर्माण करेंगे।

भारतीय लोक विद्या/व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के हित में सुलभ बनाया जायेगा।

उच्च शिक्षा के दौरान कौशल विकास पाठ्यक्रम छात्रों को व्यावहारिक, अनुभव आधारित, अभ्यास उन्मुख शिक्षा प्रदान करने की बात कही गयी है, जो व्यक्तिगत विकास, योग्यता निर्माण एवं परिवर्तित विश्व में राष्ट्र के विकास हेतु आवश्यक है। इस हेतु व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण हेतु एक राष्ट्रीय समिति (NCIVE) बनाने का प्रस्ताव है जिसके तहत उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापित किये जायेंगे।

21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में व्यक्ति के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रत्येक चरण में कौशल एवं मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा पद्धति व्यवस्था को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रोत्साहन, छात्रों के कलात्मक, रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के विकास पर जोर, संस्थानों की स्वायत्तता एवं नवाचार को बढ़ावा, इन्टरशिप द्वारा सीखने को बढ़ावा देना एवं उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्टार्ट-अप संस्कृति के विकास पर बल दिया गया है।

कौशल विकास हेतु व्यावहारिक शिक्षा के कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की व्यवस्था पर जोर देते हुए प्रत्येक छात्र हेतु कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीखने पर जोर दिया गया है ताकि विद्यार्थी श्रम की महत्ता एवं भारतीय कला के महत्त्व से परिचित होगा।

नियामक प्रणाली में सुधार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) तैयार करने का प्रावधान किया गया है ताकि व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा से समन्वित करने में सहयोग करेगा।

कौशल विकास द्वारा राष्ट्रीय विकास

वर्तमान में भारत प्रशिक्षित कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है। तकनीकी विकास के वर्तमान दौर में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास एवं कुशल भारत के रूप में एक नये भारत के निर्माण हेतु औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा महती भूमिका निभायेगा।

उच्च शिक्षा पद्धति में किया गया कौशल विकास नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा, फलस्वरूप वर्तमान विद्यार्थी भावी उद्यमी के रूप में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास व व्यावसायिक तन्त्र के निर्माण में महती भूमिका निभायेंगे, जो कि अन्ततः देश के आर्थिक आत्मनिर्भरता, ढाँचागत विकास के सुदृढ़ीकरण एवं वैश्विक स्तर के कुशल श्रमबल का निर्माण करेंगे। ❑

कौशल विकास के विविध क्षेत्र : आधुनिक एवं पारंपरिक

डॉ. उदय भान सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केन्द्र, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

संस्कृत में एक सुप्रसिद्ध श्लोक है- **कर्मणा याति संसिद्धिम्**

अर्थात् कर्म से हम सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। भारत की श्रम परंम्परा मे सदैव ही कर्म प्रधान रहा है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं -

सकल पदारथ हैं जग माहीं,
करम हीन नर पावत नाहीं।

भारत अपनी इसी समृद्ध परम्परा के बल पर अतीत में न केवल दुनिया में आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप मे जाना जाता था बल्कि दुनिया भर के निर्यातक राष्ट्रों मे अग्रणी भूमिका मे भी था। भारत अपने पारंपरिक घरेलू, कुटीर, स्थानीय व अन्य प्रकार के उद्यमों के बल पर धन-धान्य से परिपूर्ण सोने की चिड़िया के नाम से विश्व भर में विख्यात था। यही कारण था कि न केवल दुनिया के देश भारत से व्यापार करने के लिए भारत के सुप्रसिद्ध व्यापारिक स्थलों पर आते-जाते रहते थे बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का भी इतना प्रभाव था कि विश्व के कोने-कोने से लोग ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा लेकर भारत के ज्ञान केन्द्रों में पहुँचते थे। भारत के व्यापारिक केन्द्रों में जहाँ स्थलीय भू-भाग हुआ करते थे वहीं समुद्र तटीय क्षेत्र भी खासतौर पर विख्यात थे। इन प्राचीन व्यापारिक केन्द्रों व वहाँ से किए जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं की चर्चा करते हुए कह सकते हैं कि प्राचीन काल में, कस्बों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया था, उदाहरण के लिए, विनिर्माण शहर, बंदरगाह शहर, पवित्र केंद्र, व्यापारिक शहर और तीर्थ शहर। ये कस्बे पेशेवर वर्गों और व्यापारी समुदायों के समृद्धि सूचकांक पर निर्भर थे। सुविधा की दृष्टि से इन व्यापारिक केन्द्रों व व्यापार वस्तुओं की संक्षिप्त चर्चा इस प्रकार की जा सकती है :

प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापार केन्द्र व व्यापारिक वस्तुएँ

पेशावर : पेशावर ऊन का केंद्र था। यह निर्यात और आयात केंद्र घोड़ों का आयात भी करता है। पहली शताब्दी ईस्वी में चीन, भारत और रोम के बीच वाणिज्यिक लेनदेन में पेशावर की बड़ी हिस्सेदारी थी।

पाटलिपुत्र : पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से भी जाना जाता है। यह न केवल एक वाणिज्यिक शहर था बल्कि पत्थरों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र भी था। पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसकी आबादी लगभग 150,000 से 400,000 थी। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी।

तक्षशिला : तक्षशिला मध्य एशिया और भारत के बीच महत्त्वपूर्ण भूमि मार्ग पर एक प्रमुख केंद्र था। यह वाणिज्यिक और वित्तीय बैंकों का भी शहर था।

तक्षशिला को बौद्ध भिक्षुओं ने शिक्षा के केंद्र के रूप में बसाया था।

मथुरा : मथुरा एक व्यापारिक केंद्र था और मथुरा के लोग वाणिज्य पर निर्भर रहते थे। दक्षिण भारत से कई मार्ग और लाइनें ब्रोच और मथुरा को छूती थीं।

इंद्रप्रस्थ : इंद्रप्रस्थ रॉयल रोड पर स्थित एक व्यावसायिक जंक्शन था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को कवर करने वाले अधिकांश मार्ग इस वाणिज्यिक जंक्शन से जुड़े हुए थे।

मिथिला : मिथिला में व्यापारियों को नाव से समुद्र पार करना पड़ता था। उन्होंने बंगाल की खाड़ी से होते हुए दक्षिण चीन सागर तक यात्रा की। मिथिला के व्यापारी सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीपों के बंदरगाहों से व्यापार करते थे। मिथिला ने दक्षिण चीन और युन्नान में भी व्यापारिक संबंध स्थापित किये थे।

वाराणसी : वाराणसी रहने के लिए एक अच्छी जगह थी। यह स्थान उत्तर को पूर्व से जोड़ने वाले राजमार्ग और गंगा मार्ग दोनों पर स्थित था। वाराणसी कपड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। यह शहर अपनी खूबसूरत चंदन की गुणवत्ता और सोने के रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध हुआ। वाराणसी का संबंध भरूच और तक्षशिला से था।

उज्जैन : प्राचीन काल में, उज्जैन के व्यापारियों द्वारा कारेलियन, एगेट, मैलो और मलमल के कपड़े विभिन्न केंद्रों को निर्यात किए जाते थे। उज्जैन के पेशावर और तक्षशिला के साथ भूमि मार्ग से व्यापारिक संबंध भी थे।

कांची : आज कांची को कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। इस शहर में चीनी लोग काँच, मोती के साथ-साथ दुर्लभ पत्थर खरीदने के लिए विदेशी जहाजों में आते थे। बदले में, चीनियों ने कांची में रेशम और सोना बेचा।

सूरत : मुगल काल के दौरान, सूरत को पश्चिमी व्यापार के एम्पोरियम के रूप में जाना जाता है। सूरत में, कपड़ा अपनी सोने की किनारियों (ज़री) के लिए प्रसिद्ध था। बता दें कि सूरत की हुंडी को सुदूर ईरान और मिस्र के बाजार में भी सम्मान प्राप्त था।

मदुरा : मदुरा पांड्यों की राजधानी थी। इन पंड्याओं ने मन्नार की खाड़ी की मोती मत्स्य पालन को नियंत्रित किया। मदुरा ने हमेशा विदेशी व्यापारियों, विशेषकर रोमनों को आकर्षित किया। जैसा कि रोमन अक्सर विदेशी व्यापार करते थे।

कावेरीपट्टी : कावेरीपट्टी को कावेरीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का निर्माण वैज्ञानिक निर्माण का उपयोग करके किया गया था। इस शहर में मजबूत व्यापारिक सुविधाएँ, उदाहरण के लिए, लोडिंग और अनलोडिंग, प्रदान की गईं। इसके अलावा, अधिकांश विदेशी व्यापारियों का मुख्यालय कावेरीपट्टा में था। यह शहर इंडोनेशिया, मलेशिया, सुदूर पूर्व के साथ-साथ चीन के साथ व्यापार के लिए एक सुविधाजनक स्थान था। इसके अलावा, कावेरीपट्टा सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, रेशम, सुगंध, कपास, ऊन, मोती, कीमती पत्थरों के साथ-साथ सोने के व्यापार का मुख्य केंद्र था। फलस्वरूप यह नगर जहाज निर्माण के लिये भी था।

ब्रोच : पश्चिमी भारत में, ब्रोच वाणिज्य का सबसे बड़ा स्थान था। यह नगर नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। इतना ही नहीं, महत्त्वपूर्ण शहरों तक आसान पहुँच के लिए इस शहर का सभी सड़क मार्गों से संपर्क था।

ताम्रलिप्ति : ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यह बंदरगाह सुदूर पूर्व और पश्चिम से भूमि और समुद्र मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था। बनारस से तक्षशिला तक इस शहर का सड़क संपर्क था।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य ने भारत को आर्थिक जगत में एक प्रमुख राष्ट्र बनाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य मुख्य व्यवसाय था। यह व्यवसाय सड़क एवं जल मार्ग से होता था। प्राचीन काल में, कुछ प्रमुख व्यावसायिक शहर मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा थे। ये शहर तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किए गए थे। प्राचीन भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र बार्बरिकम (अब कराची), बैरीगाज़ा, सौनगौरा (अब मध्य बांग्लादेश) और केरल में मुज़िरिस, कावेरीपट्टिनम, कोरकाई और अरिकामेडु के क्षेत्रीय बंदरगाह थे। दक्षिणी भाग में वर्तमान भारत इस व्यापार का प्रमुख केन्द्र था।

भारत अपने उक्त व्यापार केन्द्रों और

बदलती विश्व अर्थव्यवस्था, व्यापार स्थिति और भारत की बढ़ती जनसंख्या के समुचित नियोजन की दृष्टि से उक्त कौशल प्रधान उपक्रमों और उद्यमिता की बहुत आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ ही अब स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी इस दिशा में मोर्चा संभाल लिया है। स्वदेशी जागरण मंच का स्वावलंबी भारत अभियान इसी दिशा मे एक स्तुत्य कदम है। आशा है, इन सब प्रयत्नों से और भारत के पुरुषार्थ से भारत पुनश्च वैभवशाली, आत्मनिर्भर, समर्थ और समृद्धशाली बन कर उभरेगा।

प्रमुख वस्तुओं के निर्यात के साथ विश्व व्यापार मे सदियों से वर्चस्व स्थापित किए हुए था। मगर प्राचीन भारत के इसी वैभव से आकर्षित होकर विदेशी आक्रांताओं ने बारी-बारी से आक्रमण कर व्यापार सम्पन्नता पर न केवल प्रहार किया बल्कि अकूत धन-संपदा और कारीगर भी लूट कर ले गए। रही सही कसर 1600 इस्वी के आसपास आए अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कंपनी और 1857 की क्रांति के बाद स्थापित अंग्रेजी सरकार ने पूरी कर दी। अंग्रेजों ने चुन-चुन कर भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। आजादी के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था वह न कर पाई जिसकी अपेक्षा थी। बाद के नरसिंहा राव सरकार के नव उदारीकृत अर्थव्यवस्था के बाद भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था को थोड़ी बहुत राहत मिली, मगर वह पर्याप्त नहीं थी।

भारत जिस अपने कौशल्य बल पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी जरूरत बार-बार महसूस की गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने कौशल विकास पर जोर देते हुए कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की। देश के युवाओं को कौशल विकास में सहायता देने के लिए अनेक विश्वविद्यालय व अभिकरणों की स्थापना की गई है। इनके सुखद परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं।

कौशल विकास परिषदों की स्थापना

भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों मे कौशल विकास के लिए कौशल विकास परिषदों को स्थापित किया है। ये व्यावसायिक मानक और अर्हता निकाय सृजित करती हैं, क्षमता ढाँचे का विकास करती हैं, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का संचालन करती हैं, कौशल अंतराल अध्ययन करती हैं और उनके द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों से जुड़े पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षुओं का आकलन और प्रमाणन करती हैं। वर्तमान में 38 क्षेत्र कौशल परिषदें चल रही हैं। इन क्षेत्र कौशल परिषदों की शासी परिषद् में 600 से अधिक निगमित प्रतिनिधि हैं। मंत्रालय इन क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

* राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने जनवरी, 2018 में कौशलीकरण संबंधी राष्ट्रीय एजेंडा में एकीकृत करने के लिए सभी क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के साथ बैठक की।

* राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने जनवरी, 2018 में कौशलीकरण संबंधी राष्ट्रीय एजेंडा में एकीकृत करने के लिए सभी क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के साथ बैठक की।

* मंत्रालय, एनएसडीसी और क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ, शिक्षुता पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया।

* मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार एसएससी, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल प्रमाण पत्र जारी करने वाली गैर-वैधानिक। कौशल विकास योजना में अनेक कोर्स होते हैं। इस योजना के तहत युवा कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स और जूलरी, लेदर टेक्नोलॉजी समेत 40 क्षेत्र की ट्रेनिंग कोर्स फ्री में करवाने की योजना बनी थी तथा इसका क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक चल रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया अभियान के सफल परिणाम सामने आए हैं। रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के बाद अब अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारी संख्या मे स्टार्टअप शुरू होने से असीम संभावनाओं के द्वार खुले हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाए योजना के तहत 3 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) चलाई गई है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण व प्रमाणन प्रदान करना है। कौशल विकास और उद्यमिता

मंत्रालय (MSDE) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा PMKVY का कार्यान्वयन किया गया है।

प्रारंभ : भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' 15 जुलाई, 2015 (विश्व युवा कौशल दिवस) को शुरू की गई थी।

उद्देश्य : युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना। मुख्य घटक: लघु अवधि का प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाएँ, पूर्व शिक्षण को मान्यता, कौशल और रोजगार मेला आदि।

परिणाम : वर्ष 2015-16 में 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।

कवरेज : PMKVY 2.0 को भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। बजट: 12,000 करोड़ रुपए। दो घटकों के माध्यम से कार्यान्वयन: केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (CSCM): यह घटक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया गया था। PMKVY, वर्ष 2016-20 की अवधि के वित्तपोषण का 75 प्रतिशत और संबंधित भौतिक लक्ष्यों को CSCM के तहत आवंटित किया गया है।

केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (Centrally Sponsored State Managed-CSSM) : यह घटक राज्य सरकारों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशनों (State Skill Development Missions-SSDMs) के माध्यम से लागू किया गया था। PMKVY के तहत वर्ष 2016-20 की अवधि के वित्तपोषण का 25 प्रतिशत और संबंधित भौतिक लक्ष्यों को CSSM के तहत आवंटित

किया गया है। PMKVY 1.0 और PMKVY 2.0 के तहत देश में एक बेहतर मानकीकृत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से 1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित/रोज़गार उन्मुख बनाया गया है। कवरेज: 717 जिलों, 28 राज्यों/आठ केंद्रशासित प्रदेशों में इसे लॉन्च किया गया। PMKVY 3.0 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक कदम है।

कार्यान्वयन : इसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ज़िलों से अधिक ज़िम्मेदारियों और समर्थन के साथ अधिक विकेन्द्रीकृत संरचना में लागू किया जाएगा।

राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) के मार्गदर्शन में जिला कौशल समितियाँ (DSCs) जिला स्तर पर कौशल अंतराल को दूर करने और मांग का आकलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

विशेषताएँ : इसमें 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-2021 की योजना अवधि में आठ लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। यह प्रशिक्षुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। नए युग और उद्योग 4.0 रोजगार भूमिका के क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर माँग-आपूर्ति के अंतर को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह युवाओं के लिए उद्योग से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रारंभिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 समग्र विकास और रोज़गार में वृद्धि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करती है। प्रशिक्षण के लिए 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण अपनाते हुए यह उन रोज़गार भूमिकाओं की पहचान करेगा जिनकी स्थानीय स्तर पर माँग है और युवाओं को इन अवसरों (वोकल फॉर लोकल) से जोड़ते हुए उन्हें कौशल प्रदान करेगा। यह बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराकर राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा।

उक्त समस्त प्रयासों के परिणाम बड़े ही सुखद रूप मे उभर कर सामने आए हैं। बदलती विश्व अर्थव्यवस्था, व्यापार स्थिति और भारत की बढ़ती जनसंख्या के समुचित नियोजन की दृष्टि से उक्त कौशल प्रधान उपक्रमों और उद्यमिता की बहुत आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ ही अब स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी इस दिशा में मोर्चा संभाल लिया है। स्वदेशी जागरण मंच का स्वावलंबी भारत अभियान इसी दिशा मे एक स्तुत्य कदम है। आशा है, इन सब प्रयत्नों से और भारत के पुरुषार्थ से भारत पुनश्च वैभवशाली, आत्मनिर्भर, समर्थ और समृद्धिशाली बन कर उभरेगा। ❑

Skill Development Initiatives : A Global Perspective

Dr. Nisha Prajapati

Assistant Professor, Department of Education,Central University of Karnataka

In the dynamic realm of the global economy, the demand for skilled workers is escalating, fuelled by technological advancements and shifting market dynamics. Recognizing the imperative need for adept workforces, governments, organizations, and educational institutions worldwide have launched comprehensive skill development initiatives. These initiatives aim to equip individuals with the essential skills to navigate the complexities of the modern workforce. This article delves into an in-depth analysis of notable skill development initiatives across the globe, supported by data sources, to understand their impact on fostering personal, societal, and economic growth. Author has attempted to analyse the policy perspectives of developed and developing nations to present a wholistic picture of skill development efforts.

Policy Perspectives for Skill Development

European Union : European Skills Agenda

The European Union's commitment to skill development is evident in its ambitious European Skills Agenda, launched in 2020. This initiative seeks to ensure that the European workforce is adequately skilled to thrive in the digital age. According to Eurostat (2020), the digital skills gap in the European Union was significant, with only 42% of individuals possessing at least basic digital skills. The European Skills Agenda focuses on upskilling and reskilling, digital literacy, and inclusivity in education and training.The European Commission's Joint Research Centre (JRC) provides data and research to support the development and implementation of skill policies. The JRC's Skills and Qualifications Analysis database offers insights into the evolving skill needs across different sectors and regions within the European Union.

Significance - The European Skills Agenda addresses the critical need for digital skills in the workforce, acknowledging the challenges posed by the digital skills gap. Upskilling and reskilling initiatives are pivotal, given the rapid technological advancements that require continuous learning.

Implications - A digitally skilled workforce enhances the EU's competitiveness in the global market. Inclusivity in education

and training ensures that diverse segments of the population can actively participate in the digital economy.

Singapore : SkillsFuture

Singapore's proactive approach to address workforce challenges is embodied in its SkillsFuture initiative, launched in 2015. According to the Ministry of Manpower (MOM) Singapore (2021), more than 285,000 individuals had benefitted from the SkillsFuture Credit scheme, which provides funds to offset the costs of approved skills-related courses. The initiative encourages a lifelong learning mindset, enabling individuals to take charge of their development and adapt to evolving industry needs.

The SkillsFuture Enterprise Credit (SFEC), another component of the initiative, provides support for enterprises to invest in their employees' skills. MOM's annual SkillsFuture Study Award Report provides insights into the impact of the SkillsFuture Study Awards, offering perspectives from both recipients and employers.

Significance - SkillsFuture reflects Singapore's forward-thinking approach to workforce challenges, promoting a culture of lifelong learning. The SkillsFuture Credit scheme encourages individuals to proactively manage their development.

Implications - A skilled workforce strengthens Singapore's position as a knowledge-based economy. SFEC supporting enterprises enhance overall industry competitiveness.

United States : Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)

In the United States, the Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA), enacted in 2014, represents a holistic approach to workforce development. According to the U.S. Department of Labor(2020), WIOA programs served more than 12 million individuals, including over 4.5 million adults and dislocated workers. The act emphasizes collaboration between workforce development boards, educational institutions, and employers to align training programs with the needs of the job market.The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) provides comprehensive data on employment trends, job outlooks, and occupational requirements. This data serves as a foundational resource for shaping WIOA programs and ansures that they address the current and future needs of the U.S. workforce.

Skill development initiatives across the globe play a pivotal role in shaping the future of work and ensuring individuals are equipped with the skills needed to thrive in a rapidly changing world. These initiatives, supported by robust data sources, reflect a collective recognition of the importance of continuous learning and adaptability in the face of technological advancements and evolving economic landscapes.

Significance - WIOA's comprehensive approach addresses the needs of diverse populations, including adults and dislocated workers. Collaboration between different stakeholders ensures the relevance of training programs.

I**mplications** - WIOA plays a vital role in reducing unemployment and addressing workforce skill gaps. BLS data aids in shaping effective workforce development strategies, ensuring alignment with market demands.

2.4 Africa : African Union's Agenda 2063

TheAfrican Union's Agenda 2063 acknowledges the pivotal role of skill development in achieving the continent's long-term development goals. The African Development Bank's (AfDB) Education and Skills Strategy highlight the importance of investing in education and skills development to harness the potential of Africa's youth. According to the World Bank (2021), Sub-Saharan Africa faced significant challenges in education and skills development, with 387 million youth projected to lack basic skills by 2030.Agenda 2063 focuses on promoting science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education, fostering innovation, and enhancing vocational training. The African Union Commission's Monitoring and Evaluation Strategy provide insights into the progress and impact of Agenda 2063's skill development initiatives.

Significance - Agenda 2063

recognizes the importance of education and skills development in Africa's long-term development. The emphasis on STEM education and innovation aims to position Africa strategically in the global knowledge economy.

Implications - Investing in youth skills development contributes to poverty alleviation and social development. Monitoring and evaluation through the AU Commission's strategy provide insights into the effectiveness of skill development initiatives.

2.5 India : Skill India Mission

In India, the Skill India Mission, initiated in 2015, is a pivotal effort to empower a vast demographic by providing them with relevant skills for gainful employment. According to the National Skill Development Corporation (NSDC, 2021), Skill India had trained over 10 million youth across various sectors, including manufacturing, healthcare, construction, and information technology. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), a component of Skill India, aims to skill and upskill the Indian workforce and align them with market demands. NSDC's Skill Development Management System (SDMS) serves as a comprehensive platform for monitoring and evaluating Skill India initiatives. It provides real-time data on the progress of skill development programs, facilitating data-driven decision-making and policy formulation.

Significance - Skill India is vital for empowering India's large youth population, aligning them with the demands of various

industries. The PMKVY under Skill India demonstrates a targeted approach to address specific sectoral needs.

Implications - Trained individuals contribute to economic growth and increased productivity. Monitoring through SDMS enables data-driven decision-making, ensuring the effectiveness of skill development programs.

3. Cross-Regional Implications :

Global Collaboration - Recognizing the interconnectedness of the global economy, collaboration between regions facilitates knowledge exchange and best practice sharing.

Technological Convergence - The common thread of addressing digital skills gaps highlights the global nature of technological advancements, requiring a universal commitment to upskilling.

Socio-Economic Development - Skill development initiatives are integral to achieving broader socio-economic development goals, such as poverty reduction and social inclusion.

Lifelong Learning as a Global Norm - The emphasis on lifelong learning in initiatives across regions signals a shift towards viewing continuous education as a global norm rather than an exception.

All in all, the implications of these skill development initiatives extend beyond individual countries, showcasing a shared commitment to addressing the challenges of the modern workforce on a global scale. The success of these initiatives relies on ongoing collaboration, adaptability to technological changes, and a commitment to empowering individuals for the demands of the future.

4. Avenues for Skill India Mission

Skill development in India carries significant implications for various stakeholders, including individuals, businesses, and the overall economic landscape. the avenues for skill development initiatives in India are indeed diverse and impactful, influencing several dimensions of the nation's economic, social, and individual landscape. The multifaceted avenues through which skill development initiatives can make a difference are:

a) Enhanced Employability - Skill development initiatives in India, such as the Skill India Mission, are instrumental in enhancing the employability of the workforce. By aligning training programs with industry needs, individuals are better prepared for the demands of the job market.

b) Industry-Relevant Workforce - Tailoring skill development programs to the needs of specific sectors, as seen in initiatives like PMKVY, ensures that the workforce possesses skills that are directly applicable to the industries driving economic growth.

c) Economic Growth - A skilled workforce contributes significantly to economic growth. As individuals acquire relevant skills, they become more productive contributors to their respective industries, fostering innovation and competitiveness.

d) Global Competitiveness - The success of skill development initiatives positions India as a globally competitive player. A highly skilled workforce attracts foreign investments, encourages technological collaborations, and strengthens India's standing in the global economic landscape.

e) Reduction of Unemployment and Underemployment - Skill development programs play a pivotal role in addressing the issues of unemployment and underemployment by narrowing the gap between the skills possessed by job seekers and the skills demanded by employers.

f) Entrepreneurship and Innovation - Empowering individuals with skills not only prepares them for traditional employment but also nurtures a culture of entrepreneurship. Skilled individuals are more likely to initiate and manage successful ventures, contributing to economic diversification and innovation.

g) Inclusive Growth - Skill development initiatives, when designed with inclusivity in mind, can bridge socio-economic gaps. Ensuring accessibility to skill training for marginalized and disadvantaged populations promotes inclusive growth and reduces inequality.

h) Government Policy and Investment - The success of skill development initiatives is closely tied to sustained government commitment, policies, and investments. Continued financial support, effective policy frameworks, and strategic planning are crucial for the long-term impact of these initiatives.

i) Technology Adoption - As technology continues to reshape industries, skill development initiatives must focus on digital literacy and training in emerging technologies. This prepares the workforce for the evolving demands of the Fourth Industrial Revolution.

j) Lifelong Learning Culture - Fostering a lifelong learning culture is essential for sustained employability. Skill development programs should encourage individuals to view learning as a continuous process, adapting to evolving industry requirements throughout their careers.

k) Monitoring and Evaluation - Robust monitoring and evaluation mechanisms, such as the Skill Development Management System (SDMS), enable stakeholders to assess the effectiveness of skill development programs. This data-driven approach facilitates ongoing improvements and ensures that resources are allocated efficiently.

l) Global Best Practices - Learning from successful skill development initiatives in other regions, especially from the European Union, Singapore, the United States, and Africa, can provide insights into best practices that can be adapted to the Indian context.

5. Conclusion

Skill development initiatives across the globe play a pivotal role in shaping the future of work and ensuring that individuals are equipped with the skills needed to thrive in a rapidly changing world. These initiatives, supported by robust data sources, reflect a collective recognition of the importance of continuous learning and adaptability in the face of technological advancements and evolving economic landscapes. India as the emerging super power attempts to collaborate with the governments, businesses, and educational institutions to bridge skill gaps, the potential for individual empowerment, societal development, and economic growth of India would become increasingly promising on a global scale. The integration of data-driven insights into these initiatives has the potential to enhance the effectiveness, enabling stakeholders to make informed decisions, allocate resources efficiently, and ensure that India's skill development programs align with the evolving needs of Indian as well as global industries and economies.❑

भारतीय ज्ञान परंपरा व भारत में महिला शिक्षा

डॉ. अमरीक सिंह ठाकुर
सहायक प्रोफेसर,
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय
विश्वविद्यालय,
धर्मशाला (हि.प्र.)

प्राचीन भारत में, शिक्षा को जीवन का एक अनिवार्य पहलू माना जाता था, और महिलाओं ने ज्ञान के विकास और संचरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैदिक काल (1500 ईसा पूर्व - 500 ईसा पूर्व) भारत में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है, और इसी दौरान महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी गई थी। वैदिक काल के दौरान, महिलाओं को साहित्य, गणित, धर्म और दर्शन सहित कई विषयों में शिक्षित किया गया था। महिलाओं की वेदों तक पहुँच थी, और उनमें से कुछ वेदों के विद्वान और विशेषज्ञ भी बन गए। ऋग्वेद में महिलाओं द्वारा रचित भजन शामिल हैं, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी। संस्कृत भाषा के विकास में भी महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वैदिक काल के दौरान, महिलाओं को साहित्य, गणित, धर्म और दर्शन सहित कई विषयों में शिक्षित किया गया था। महिलाओं को खाना पकाने, बुनाई और कढ़ाई जैसे घरेलू कौशल में भी प्रशिक्षित किया गया था। शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक प्रसारण के माध्यम से प्रदान की गई थी, और वेद, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, इस अवधि के दौरान ज्ञान और शिक्षा का प्राथमिक स्रोत थे। महिलाओं ने संस्कृत भाषा के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वैदिक काल के दौरान शिक्षा और धर्म की भाषा थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएँ संस्कृत में अपनी प्रवीणता के लिए प्रसिद्ध थीं और भाषा में विद्वानों और विशेषज्ञों के रूप में सम्मानित थीं। वैदिक काल के दौरान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से गुरु-शिष्य (शिक्षक-छात्र) परंपरा पर आधारित थी, जहाँ छात्र अपने शिक्षकों के साथ रहते थे और उनसे शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करते थे।

शिक्षा को हमेशा भारत में जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू माना गया है, और महिलाओं ने ज्ञान के विकास और संचरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैदिक काल से लेकर आज तक, महिलाओं ने भारत में शिक्षा की प्रगति में योगदान दिया है, बाधाओं को तोड़ा है और रूढ़ियों को चुनौती दी है। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने 'हिन्दुस्थान' नाम दिया था जिसका अपभ्रंश 'हिन्दुस्थान' है।

'बृहस्पति आगम' के अनुसार -

हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्दु सरोवरम्।
तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते॥

यानि हिमालय से प्रारम्भ होकर इन्दु सरोवर (हिन्द महासागर) तक यह देव निर्मित देश हिन्दुस्थान कहलाता है। भारत में रहने वाले जिसे आज लोग हिंदू नाम से ही जानते आए हैं। भारतीय समाज, संस्कृति, जाति और राष्ट्र की पहचान के लिए हिंदू शब्द लाखों वर्षों से संसार में प्रयोग किया जा रहा है। वेद स्त्री की सामाजिक, प्रशासकीय और राष्ट्र की साम्राज्ञी के रूप का वर्णन भी करते हैं।

ब्रह्मवादिनी एक अत्यंत बुद्धिमान और बहुत ही विद्वान महिला, जो कि वैदिक अध्ययन का मार्ग चुनती थी। ब्रह्मवादिनी का

शाब्दिक अर्थ है 'वह नारी जो परब्रह्म के बारे में बोलती है। ब्रह्मवादिनी कभी-पूरी जिंदगी अविवाहित रहती थी, हालाँकि, अगर वे चाहें तो शादी कर सकती थी। ऐसी ही एक ब्रह्मवादिनी हुई जिनका नाम था लोपामुद्रा, जो कि संस्कृत और तमिल की प्रसिद्ध विद्वान थीं। इन्होंने ऋग्वेद के 1.179.1-2 का लेखन किया और अगस्त्य ऋषि से शादी की। इनके अलावा अत्रि के परिवार से विश्ववारा, घोषा, सिकता, निववारी, अपाला, अंगिरस के परिवार से अंगिरसी सरस्वती, यमी वैवस्वती, श्रद्धा, घोष, सूर्या, इंद्राणी, उर्वशी, सरमा, जुहू और पौलोमी सैक्षानी, इन सब ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने में अपना योगदान दिया है। महान गणितज्ञ लीलावती को कौन नहीं जानता! इन्होंने गणित के कई सूत्रों की रचना की। वेदों में नारियों के सम्बंध में क्या कहा गया है, जानते हैं - यजुर्वेद 10.26-शासकों की स्त्रियाँ अन्यों को राजनीति की शिक्षा दें। जैसे राजा, लोगों का न्याय करते हैं वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हों। यजुर्वेद 20.9-स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है। यजुर्वेद 17.45- स्त्रियों की भी सेना हो। स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

भारत में नहीं बल्कि पश्चिम में विच हंटिंग नामक खेल हुआ करता था,और इस खेल में उन स्त्रियों की पहचान की जाती थी जिनका कोई होता नहीं था। उन पर आरोप लगाया जाता था और फिर उन्हें घेर कर मारा जाता था। जिस समय यूरोप में यह काला दौर चल रहा था, उन दिनों भारत भी बाहरी आक्रमण से गुजर रहा था, परन्तु भारत में स्त्रियाँ चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान इस संक्रमण काल से गुजरते हुए भी समाज और राजनीति में अपना स्थान उच्च रखे हुए थीं। वह कोटारानी के रूप में अपने पूरे प्रदेश की रक्षा किए हुए थी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। इतिहासकारों के मुताबिक यूरोप में जादूटोने के चक्कर में जहाँ चालीस हजार से लेकर एक लाख हत्याएँ हुई वहीं उनका यह भी कहना है कि यह संख्या तीन गुना तक अधिक हो सकती है। इतिहासकारों का यह भी कहना है कि हालांकि जादू टोने के चक्कर में पुरुषों की भी जान गयी मगर यह भी सच है कि इनमें एक तिहाई से अधिक स्त्रियाँ थीं। और इन्होनें हमसे आकर कहा कि तुम्हारे यहाँ औरतों को अधिकार नहीं ! या यह कहा जाए कि अंग्रेजों ने आकर ही हमें और पिछड़ा किया। पश्चिम के नाम पर स्त्रियों को केवल देह और कपड़ों तक सीमित कर दिया। स्त्री की सोच को सीमित किया, और जहाँ वह पहले सत्ता को साधती थी, बाद में बाज़ार उसे साधने लगा। भारत में साड़ी एवं पारंपरिक परिधान पहनकर स्त्रियाँ युद्ध करने जाती थीं तो अंग्रेजों को वाकई समझ नहीं आता होगा कि उनके सामने कौन है? स्त्री पढ़ कर शास्त्रार्थ कर सकती है, सत्ता बदलने में योगदान कर सकती है, यह सब उनकी सोच से परे था। यह अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमारी संस्कृति के मूल ढाँचे पर प्रहार किया और गुलामी की भावना भीतर भरी। भारतीय स्त्री कभी गुलाम नहीं थी। यह अनुवादित गुलामी थी, और हम सोचते हैं कि अनुवाद एक छोटी और साधारण कला है? जो भारत आधुनिक काल तक स्त्री को लेकर सम्मानजनक नजरिया अपनाए था उसे उन्होंने पिछड़ा अनुवादित कर दिया और जिस समाज ने स्त्री को डायन बनाकर सबसे पहले प्रताड़ित किया उसे संभ्रांत और सभ्य घोषित कर दिया। और हम आज तक वही ढपली बजा रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नया दृष्टिकोण लेकर आए हैं। उनका दृष्टिकोण भारत के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। उनके नेतृत्व में भारत की शिक्षा प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उनका मानना है कि शिक्षा देश की वृद्धि और विकास की कुंजी है। उनका दृष्टिकोण अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करते हैं जो आधुनिक, प्रासंगिक हो और 21 वीं सदी की जरूरतों को पूरा करती हो।

प्राचीन काल में महिला शिक्षा (500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी) भारत में, गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती रही, और महिलाओं को विश्वविद्यालयों और स्कूलों जैसे औपचारिक शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँच थी। महिलाओं को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला, और उनमें से कुछ प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षक भी बन गए। शिक्षा पाठ्यक्रम में दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और राजनीति सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। प्राचीन भारत में, वैदिक काल से परे महिलाओं की शिक्षा फलती-फूलती रही और विकसित होती रही। प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे 5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। उदाहरण के लिए, गार्गी वाचकनवी, एक महिला दार्शनिक, प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य की छात्रा थीं। मैत्रेयी और गायत्री जैसी महिलाएँ विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं के रूप में प्रसिद्ध थीं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने और सलाह देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।

1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की, जिसमें शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल था। महिलाओं ने लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित

(एसटीईएम) सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखा है।

स्वामी विवेकानंद का मिशन व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना था जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता का एहसास करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। उनका मानना था कि शिक्षा को अकादमिक ज्ञान के अधिग्रहण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें नैतिक मूल्यों, नैतिकता और चरित्र का विकास भी शामिल होना चाहिए। छात्रों में राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना पैदा करें। व्यावहारिक ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करें। नवाचार और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देना। शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण उन व्यक्तियों के समाज का निर्माण करना था जो आत्मनिर्भर, नैतिक रूप से ईमानदार और बौद्धिक रूप से उत्सुक थे। स्वामी विवेकानंद ने सार्वजनिक रूप से कहा था, ''शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी की वास्तविक क्षमता की प्राप्ति होनी चाहिए।''

महाराजा रणजीत सिंह भारत में सिख साम्राज्य के संस्थापक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और उनका मानना था कि यह समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की, खासकर महिलाओं के लिए। महाराजा रणजीत सिंह का मिशन एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो बौद्धिक रूप से जिज्ञासु, अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त हो। उनका मानना था कि शिक्षा इस मिशन की कुंजी है और सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा महिलाओं सहित सभी के लिए सुलभ हो।

पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और उनका मानना था कि शिक्षा भारत की प्रगति की कुंजी है। वह नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता में भी विश्वास करते थे। एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो अज्ञानता और गरीबी से मुक्त हो। उनका मानना था कि शिक्षा इस मिशन की कुंजी है और सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करें। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करें।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञ थे। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, एक राजनीतिक दल जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ। अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा, शिक्षा सुधार के क्षेत्र में मुखर्जी का योगदान उल्लेखनीय है। शिक्षा राष्ट्रीय एकता, प्रगति और विकास को बढ़ावा देने का एक साधन है। उनका मानना था कि शिक्षा को छात्रों के बीच राष्ट्रीय पहचान और गर्व की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे उनमें राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा होनी चाहिए। मुखर्जी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की जो न केवल अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करेगी, बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों, नैतिक मानकों और सामाजिक जिम्मेदारी को भी आत्मसात करेगी। उन्होंने आधुनिक विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के साथ-साथ शिक्षा को भारतीय संस्कृति और विरासत पर आधारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुखर्जी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना चाहते थे जो हाशिए और वंचितों सहित समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करे। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने और समाज को बदलने की कुंजी है। मुखर्जी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की जो सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हो। उन्होंने शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति सहित शिक्षा के लिए सभी बाधाओं को हटाने की वकालत की। शिक्षा के लिए मुखर्जी के उद्देश्य बहुमुखी थे। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्त, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और शिक्षा में विशेषज्ञता वाले पेशेवरों द्वारा शासित होने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा के विकेंद्रीकरण की वकालत की, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तरों पर अधिक शक्ति और संसाधनों को स्थानांतरित किया गया। मुखर्जी का मानना था कि पाठ्यक्रम गतिशील, विकसित और बदलते समय की जरूरतों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। उन्होंने छात्रों को कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देने की वकालत की। मुखर्जी ने निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए

शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

दीन दयाल उपाध्याय भारत में एक प्रमुख राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। वह भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। वह एकात्म मानववाद की अवधारणा के हिमायती थे, जिसने मानव विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में शिक्षा सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय का दृष्टिकोण इस दर्शन पर आधारित था, जो व्यक्ति और पूरे राष्ट्र के विकास पर केंद्रित था। शिक्षा सुधार के लिए दीनदयाल जी का दृष्टिकोण एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था जो भारतीय लोकाचार और संस्कृति के अनुरूप हो। उनका मानना था कि शिक्षा प्रणाली को न केवल ज्ञान प्रदान करना चाहिए, बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों और नैतिकता का भी संचार करना चाहिए। उनके अनुसार, शिक्षा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए एक उपकरण होना चाहिए। दीन दयाल उपाध्याय का दृष्टिकोण एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था जो जिम्मेदार नागरिकों का उत्पादन करेगा जो राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे।

शिक्षा सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय का मिशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था जो सभी के लिए सुलभ हो। उनका मानना था कि शिक्षा कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार नहीं बल्कि सभी के लिए एक अधिकार होना चाहिए। दीन दयाल उपाध्याय का मिशन भारत के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना चाहते थे जो व्यक्ति के कौशल और प्रतिभा के विकास पर ध्यान केंद्रित करे। दीन दयाल उपाध्याय का मिशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था जो राष्ट्र और समाज की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो।

नाना जी देशमुख भारत में एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक पहलों में भी शामिल थे। वह ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने ग्रामीण जनता के उत्थान की दिशा में काम किया। शिक्षा सुधार के लिए नाना जी देशमुख का दृष्टिकोण उनके विश्वास में निहित था कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी है। शिक्षा सुधार के लिए नाना जी देशमुख का दृष्टिकोण एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था जो सभी के लिए सुलभ हो, विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिए। उनका मानना था कि शिक्षा को न केवल ज्ञान प्रदान करना चाहिए, बल्कि छात्रों में मूल्यों और नैतिकता को भी विकसित करना चाहिए। उनके अनुसार, शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक उपकरण होना चाहिए, और इसे व्यक्तियों को परिवर्तन का माध्यम बनने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। नाना जी देशमुख का दृष्टिकोण एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था जो जिम्मेदार नागरिकों का उत्पादन करे जो राष्ट्र के विकास की दिशा में काम करे! वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना चाहते थे जो समावेशी हो और समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करे। नाना जी देशमुख का मिशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना था जो व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें उनके बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल हैं। उनका मानना था कि शिक्षा सशक्तीकरण और परिवर्तन के लिए एक उपकरण होना चाहिए।

भारत में महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो वर्तमान में महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच को सीमित करते हैं। भारत में महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार और अन्य संगठन दूरदराज के क्षेत्रों में अधिक स्कूलों के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं और लड़कियों को स्कूलों की यात्रा करने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ अक्सर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करती हैं। माता-पिता, शिक्षक और समुदाय के सदस्य इन रूढ़ियों को खत्म करने और इस विचार को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकते हैं कि शिक्षा लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक है। भारत में कई परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने और घरेलू आय में योगदान करने की आवश्यकता होती है। लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं।

शिक्षा देश की वृद्धि और विकास की कुंजी है। उनका दृष्टिकोण अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करते हैं जो आधुनिक, प्रासंगिक हो और 21 वीं सदी की जरूरतों को पूरा करती हो। जो समावेशी और न्यायसंगत हो, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करे, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनके मिशन में शिक्षकों को सशक्त बनाना, उन्हें आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। उनका मानना है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य कक्षा में प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके भारत में शिक्षा को डिजिटल बनाना है। उनका मानना है कि प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला सकती है और सीखने को अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव बना सकती है। श्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य छात्रों के बीच कौशल विकसित करना है जो उद्योग की जरूरतों के लिए प्रासंगिक हैं। उनका मानना है कि शिक्षा व्यावहारिक होनी चाहिए और छात्रों को कार्यबल के लिए तैयार करना चाहिए। ❑

संस्कार पोषणक्षम प्राथमिक अधिगम शिक्षण विधियाँ

डॉ. घनश्याम शर्मा
प्राचार्य,
डॉ. जाकिर हुसैन टी.टी. कॉलेज, झालावाड़ (राज.)

आधुनिक विचारधारा के शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि पाठ्यचर्या अनुभवों, क्रियाओं या जीवन की वास्तविक परिभाषा है, जिसका प्रमुख आधार राष्ट्रवाद की विरासत होनी चाहिए तब ही जाकर एक विद्यार्थी एक उन्नत राष्ट्र के बारे में सोच सकेगा तथा उसमें समग्रता लाने का प्रयास करेगा। वर्तमान युग में विज्ञान के विकास के साथ-साथ मनोविज्ञान का भी विकास हुआ है। विज्ञान व मनोविज्ञान के आधार पर ही शिक्षण विधियों का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षण की उस योजना से होता है, जिसका निर्माण शिक्षण के सिद्धांतों एवं सूत्रों के आधार पर किया जाता है। जिसमें बालकों की शारीरिक व मानसिक योग्यताओं को ध्यान रख प्राथमिक स्तर पर बालक को पढ़ाने हेतु प्रयुक्त किया जाना अपेक्षित होता है। अध्यापकों द्वारा भी अध्यापन विधि का चयन सतर्कता से किया जाना चाहिए क्योंकि बालक प्राथमिक स्तर में अबोध होता है, उसे जैसा चाहो वैसा बनाया जा सकता है इस बात को ध्यान में रख कर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि ''उत्तम पद्धति मात्र कृत्रिम अथवा यांत्रिक प्रणालियों का योग ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें राष्ट्रीय चरित्र का भी समावेश होना अनिवार्य होता है तब ही जाकर एक सर्वांगीण विकास से परिपूर्ण राष्ट्रवादी बालक या विद्यार्थी का निर्माण होना संभव हो सकेगा।''

ज्ञातव्य रहे कि पाठयक्रम या पाठ्यचर्या का निर्माण करने से पहले सभी विद्वान साथियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियों में अपनी परम्पराओं तथा पुरातन संस्कृति का पुट होना अनिवार्य है तब ही जाकर विद्यार्थी अपने देश की गौरवशाली परम्परा से जुड़कर राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से कार्य करने में सक्षम हो सकेगा।

प्राथमिक शिक्षण विधियों की अवधारणा

शिक्षा का प्राथमिक स्तर सर्वाधिक जटिल एवं कठिन स्तर माना जाता है क्योंकि संस्कारों के विकास में इसी स्तर की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्वांगिण विकास के साथ उत्तम आचरण का निर्माण भी अति आवश्यक हो जाता है जो राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधि से ही संभव हो पायेगा। विभिन्न विद्वानों के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसकी सहायता से कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझने योग्य बन जाता है। आज की शिक्षा बाल केन्द्रित है, शिक्षक केन्द्रित नहीं। अत: शिक्षण विधि के चयन एवं स्वरूप को निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता न बनाएँ वरन उनमें सक्रियता व जीवन्तता के गुण उत्पन्न करें। उनकी रचनात्मक वृत्तियों का विकास करें, जिससे कि उनमें तर्क, विचार, निर्णय, विश्लेषण एवं संश्लेषण आदि गुणों तथा मानसिक शक्तियों का

विकास हो सके।

प्राथमिक शिक्षा की आनंददायी शिक्षण-प्रविधियों में खेलकूद का विशेष महत्व होना अनिवार्य है ताकि उनमें ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक विकास हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि – ''विद्यार्थी का मूल आधार शिक्षा खेल का पुट देना होता है ताकि उसमें चारित्रिक विकास संभव हो सके।'' आनंददायी शिक्षा से ही एक बालक के स्वभाव को चारित्रिक विकास में परिवर्तित किया जा सकता है।

इस संबंध मे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षण विधियों के उद्देश्यों के बारे में बताया है, जो इस प्रकार हैं –

- विद्यार्थियों में कार्य की आदत के प्रति बांछनीय मूल्यों व उचित अभिवृत्तियों का विकास करना।
- विद्यार्थियों में कार्य के प्रति ईमानदारी व सक्षमता उत्पन्न करना
- उद्देश्यपूर्ण व वास्तविक परिस्थितियों के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना।
- मस्तिष्क का विकास करना न केवल नौकर बनने की प्रवृत्ति का विकास करना।
- विद्यार्थियों को उचित ज्ञान का व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर सकने में सक्षम बनाना।
- विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रशिक्षित करना और उन्हें इस दृष्टि से सफल बनाना कि वह ज्ञानार्जन कर सकें।
- विद्यार्थियों में स्पष्ट चिंतन की योग्यता तथा स्पष्ट भाषण एवं लेखन अभिव्यक्ति का विकास करना।
- विद्यार्थियों में अच्छी अभिरुचियों का विकास कर रचनात्मक शक्ति विकसित करना।
- विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना।
- विद्यार्थियों में सद् नागरिकता के गुण विकसित करना।
- विद्याधियों में चरित्र निर्माण करना।

नई शिक्षा नीति–2020 का निर्माण कर प्राथमिक शिक्षा का विहंगम परिदृश्य विकसित किया जाना अपेक्षित समझा गया है जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी के विजनलोकल फोर वोकल की अवधारणा परिलक्षित होती दिखाई दे रही है। अनन्तः कहा जा सकता है कि विधियों का निर्माण राष्ट्रीयता, स्थानीयता, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को ध्यान में रख कर किया जाना अपेक्षित है, इससे ही उन्नत्व समृद्ध विचारों के माध्यम से उत्तम चरित्र का निर्माण संभव हो सकेगा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिक्षण विधियों का विकास व्यापक दृष्टिकोण रखकर करना अपेक्षित है तब ही एक बालक का राष्ट्रीय चरित्र विकसित किया जा सकेगा। प्राथमिक स्तर पर सामान्यतया निम्न शिक्षण विधियों का होना अपेक्षित है –

(1) खेल विधि – महात्मा गाँधी ने बालक की प्रवृत्ति के विकास हेतु खेल को महत्त्वपूर्ण बताया है। खेलों की भूमिका भारतीय वातावरण के अनुसार होनी चाहिए ताकि बालक में राष्ट्रीयता की विचारधारा को बढ़ाया जा सके। खेल सामाजिक वातावरण में समरसता उत्पन्न करते हैं इसलिए बालक में सामूहिकता की प्रवृत्ति का विकास संभव हो सकेगा। खेल का सामान्य अर्थ निम्नानुसार लगाया जा सकता है –

P = Praise (प्रशंसा) – खेल के माध्यम से बालक प्रशंसा को प्राप्त कर, जीवन से जुड़ने की कोशिश करता हुआ सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सामाजिकता के परिदृश्य में चारित्रिक गुण विकसित करने में सफल होता है।

L = Learning (सीखना) – स्वामी दयानन्द कहते हैं कि बालक की मूल प्रवृत्ति ही खेल है जिससे वह अपनी छुपी हुयी शक्तियों का विकास कर सीखने की कोशिश करता है जो जीवन का स्थायी समाधान माना जाता है।

A =Activness (सक्रियता) – डॉ. राधाकृष्णन आयोग (1948)के आधार पर कहा जा सकता है कि बालक खेल के माध्यम से स्वजागृति कर सक्रिय रहने की कोशिश करता है क्योंकि सक्रियता से सीखा गया ज्ञान अचूक होता है। वह जीवन में दैनिक क्रियाकलापों को भाव प्रकाशन से जानता है। खेल ही बालकों में समृद्धि की विरासत देने के सफल होता है।

राष्ट्र की प्रगति को मात्र मजबूत बनाने के लिए बालक के विकास की विकास यात्रा निम्नानुसार होनी चाहिए –

ज्ञानात्मक विकास	भावात्मक विकास	क्रियात्मक विकास
1. ज्ञान	1. आग्रहण	1. अनुकरण
2. अवबोध	2. प्रतिक्रिया	2. उद्दीपन
3. ज्ञानोपयोग	3. अनुमूल्यन	3. नियंत्रण
4. संश्लेषण	4. अवधारण	4. समायोजन
5. विश्लेषण	5. व्यवस्थापन	5. स्वाभावीकरण
6. मूल्यांकन	6. चरित्रनिर्माण	6. आदत। कौशल

Y = Youthful- (ऊर्जावान) खेल के माध्यम से ही बालकों को ऊर्जावान बनाया जाता है क्योंकि यह बालकों को भावात्मक ज्ञानात्मक एव क्रियात्मक रूप से जाग्रत कर उसके लिए सक्रिय बनाता है।

2. आगमन-निगमन विधि - विशेष दृष्टान्तों एवं उदाहरणों द्वारा सामान्य नियमों को विधिपूर्वक प्राप्त करना ही आगमन होता है तथा आगमन विशेष से सामान्य अथवा कम सामान्य से अधिक सामान्य का विधि पूर्वक अनुमान लगाना होता है। जब कभी विद्यार्थियों, के सम्मुख अनेक तथ्य उदाहरण, क्रियाएँ अथवा वस्तुएँ प्रस्तुत करते हैं तथा इसके पश्चात् बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, इस शिक्षण विधि को आगमन विधि कहते हैं। इसमें बालकों के समक्ष ज्ञात से अज्ञात, स्थानीय स्तर के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म सूत्रों का प्रयोग किया जाता है।

इसके निम्न चरण होते हैं -

(1) आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत कर बालक को कठिन विषय से जोड़ा जा सकता है।

(2) संभावित निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास कर उसमें तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है।

(3) निष्कर्षों की सत्यता से बालक में सामान्यीकरण की प्रवृत्ति का विकास कर ज्ञानात्सक पक्ष मजबूत किया सकता है।

(4) नियमों की सत्यता की पुष्टि करना ही परीक्षण योग्यता का विकास होता है जो एक भावात्मक प्रवृत्ति को मजबूत बनाता है। इस विधि में हम एक परिभाषा सामान्य नियम या सूत्रों को मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू करते हैं। इस प्रकार नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने के साधन होते हैं।

3. विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि - किसी भी वस्तु या समस्या को छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना अथवा उस वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना है। अध्यापक को प्रश्न का विच्छेदन कर विद्यार्थियों के सम्मुख रखना चाहिए तथा विद्यार्थियों से भी विच्छेदन करने को कह चाहिए। अत: समस्या के विच्छेदन करने को विश्लेषण कहा जाता है। विश्लेषण विधि में किसी जटिल समस्या को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाकर खोज प्रवृत्ति का विकास संभव होता है। बालक इसमें एक अन्वेषक, चिंतक बनकर उभरता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें मानसिक शक्तियों का विकास कर तर्क, करने की जिज्ञासा होती है। इस विधि में बालक ज्ञात से अज्ञात तथा अनुमान से तर्क की और बढ़ता है। संश्लेषण में कार्य विश्लेषण के बाद ही कार्य प्रारंभ होता है जब विषय वस्तु छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और उन भागों को पुन: मिलाकर रखने पर अपने रूप में पुन: परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे बालकों की तर्क शक्ति का विकास होता है।

उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समग्र, विधियाँ एक कुंड के समान हैं जो भारतीय परम्परा के सागर से जुड़ा होता है और इससे चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुणों के साथ नैतिक गुणों का भी विकास होता है। सभी प्रकार की विषयवस्तुओं का निर्माण स्थानीय वातावरण एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाना अपेक्षित है क्योंकि इसके माध्यम से ही बालकों में राष्ट्रीय चिंतन का विकास होना होता है।

इसी परिदृश्य को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति-2020 का निर्माण कर प्राथमिक शिक्षा का विहंगम परिदृश्य विकसित किया जाना अपेक्षित समझा गया है जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन लोकल फोर वोकल की अवधारणा परिलक्षित होती दिखाई दे रही है। अंतत: कहा जा सकता है कि शिक्षण विधियों का निर्माण राष्ट्रीयता, स्थानीयता, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को ध्यान में रख कर किया जाना अपेक्षित है, इससे ही उन्नत विचारों के माध्यम से उत्तम चरित्र का निर्माण संभव हो सकेगा। ❑

Navigating the Linguistic Landscape : Language Teaching in Primary Education in Bharat

Prof. Anil Kumar Dadhich

Head,
Dept of English
SPC Govt College,
Ajmer (Raj.)

Language teaching in primary education is a crucial component that lays the foundation for a child's communication skills and cognitive development. In Bharat, a diverse and multilingual country, the approach to language instruction in primary schools is a dynamic amalgamation of national languages like Hindi and English, alongside a focus on regional languages. The new education policy has paid a special attention to the needs of the communication skills of the students at primary level. This article explores the key aspects of language teaching in primary education in Bharat, shedding light on the strategies employed and the challenges faced.

Multilingual Landscape

India's linguistic diversity is reflected in its education system, where students often learn multiple languages. The Three Language Formula, a policy implemented by the government, encourages the learning of Hindi, English, and the regional language. While Hindi serves as a link language, English is emphasized for its global

Language teaching in primary education in Bharat is a dynamic process that navigates the intricate tapestry of linguistic diversity. The emphasis on multilingualism, integrated learning, and the development of basic communication skills in New Education Policy reflects a commitment to providing a comprehensive education. While challenges persist, ongoing efforts to adopt inclusive approaches underscore the importance of nurturing linguistic abilities in the early stages of a child's educational journey.

relevance, and regional languages connect students with their cultural roots.

Integrated Curriculum

Language instruction in primary education goes beyond standalone language classes. Many primary schools in Bharat adopt an integrated curriculum where language learning is interwoven with other subjects. This approach not only enhances language skills but also facilitates a holistic understanding of various topics, fostering interdisciplinary learning.

Focus on Basic Communication Skills

The primary aim of language teaching in early education is to equip students with basic communication skills. This includes developing proficiency in reading, writing, listening, and speaking. Emphasis is placed on creating an interactive and engaging learning environment to nurture effective communication skills from an early age.

Regional Language Emphasis

Recognizing the importance of preserving and promoting regional languages, primary education in India often places a significant emphasis on teaching in the local language. This approach not only helps in maintaining linguistic diversity but also ensures that students can effectively communicate within their immediate cultural context.

Challenges

Despite the strides in language teaching methodologies, there are challenges that educators face. Limited resources, varying proficiency levels among students, and the need to strike a balance between national and regional languages pose ongoing challenges. Additionally, the digital divide can impact the accessibility of language learning resources in certain regions.

Inclusive Approaches

Efforts are being made to adopt inclusive approaches to language teaching, considering the diverse learning needs of students. Teachers are encouraged to employ creative and varied teaching methods, catering to different learning styles and abilities. This inclusivity extends to incorporating technology in language instruction, bridging gaps and making learning more engaging.

Conclusion

Language teaching in primary education in Bharat is a dynamic process that navigates the intricate tapestry of linguistic diversity. The emphasis on multilingualism, integrated learning, and the development of basic communication skills in New Education Policy reflects a commitment to providing a comprehensive education. While challenges persist, ongoing efforts to adopt inclusive approaches underscore the importance of nurturing linguistic abilities in the early stages of a child's educational journey. ❑

भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषताएँ

उमेश कुमार चौरसिया
क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री,
अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान,
अजमेर (राज.)

संस्कृति और संस्कार। ये दो शब्द भारतीय परिवेश में पूर्णत: रचे-बसे हुए हैं। संस्कृति और संस्कार क्या है? हमारे शास्त्र बताते हैं कि संस्कृति मानव जीवन को संस्कारित करने की वह दिव्य परम्परा है जिसमें मानव मन को परिष्कृत कर उसके अन्दर छिपे हुए दिव्य गुणों को, उसके मूल वास्तविक परिपूर्ण स्वरूप को प्रकट करने की चेष्टा की जाती है, उसमें स्थित करने की चेष्टा की जाती है। इस क्रम में नर से नरत्व, नरत्व से देवत्व, देवत्व से ब्रह्मत्व तक उसके मूल परिपूर्ण स्वरूप तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। संस्कार का अर्थ है सजाना-संवारना, पूर्णता प्रदान करना। हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनके द्वारा मानव के मूल दिव्य, परिपूर्ण स्वरूप को प्रकट करने की चेष्टा की जाती है, यह संस्कार परम्परा गर्भाधान से प्रारम्भ हो जाती है और अन्त्येष्टि तक चलती है। इस प्रकार गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, लोक से परलोक तक हमारे जीवन का कोई भी क्षण और कोई भी कर्म संस्कार से रहित नहीं है। संस्कार हमारे जीवन के केन्द्र बिन्दु हैं जिससे हमारा समग्र व्यक्ति जीवन, परिवार जीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन व विश्व जीवन संचालित होता है।

इस प्रकार मानव मन का परिष्कार करने, शोधन करने, पूर्णता प्रदान करने वाले जितने भाव एवं कार्य हैं, वह संस्कार कहलाते हैं। इन्हीं संस्कारों की दिव्य परम्परा को संस्कृति कहते हैं। इस दृष्टि से संस्कृति का अर्थ श्रेष्ठतम कृति से है। जो मनुष्य को ऊँचा उठाये वह संस्कृति है, जो नीचे गिराये वह विकृति है। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। भूखण्ड राष्ट्र की देह है, साहित्य उसकी दृष्टि और भाषा उसकी वाणी है। हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृति किसी भी राष्ट्र का प्राण है। भारत में विविध वर्ण-आश्रम, जाति-उपजाति, प्रदेश, वेश-भूषा, आर्थिक भिन्नता, नगरीय, ग्रामीण व वनवासी समाज इन सभी को संस्कृति ने ही जोड़ रखा है। राष्ट्र की एकता का सूत्र संस्कृति ही है। भारत में जीवनमूल्यों का, आदर्शों का, सद्गुणों का दर्शन ऋषियों के माध्यम से हुआ इसलिए इसे ऋषि संस्कृति भी कहते हैं। देवों के द्वारा हुआ इसलिए देव संस्कृति भी कहते हैं। मनु से हुआ इसलिए मनु संस्कृति या मानव संस्कृति भी कहते हैं।

अद्वैत दर्शन - भारतीय संस्कृति के मूल में वेद हैं, ऋषि हैं, ईश्वर है। भारतीय परम्परा में वेद सनातन और अपौरूषेय हैं। वेद के मूल में ऋषि हैं जिन्होंने ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा वेद मंत्रों का दर्शन किया। भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव ईश्वर की संतान है, ऋषियों की संतान है। अमृत की संतान होने से अपने मूलरूप में दिव्य है। उसमें अनन्त गुण-सम्पदा यथा ज्ञान, शक्ति, आनन्द इत्यादि समाये हुए हैं। हमारी संस्कृति जिस दर्शन परम्परा को

लेकर चलती है उसमें अद्वैत दर्शन का स्थान सर्वोच्च है। अद्वैत दर्शन के अनुसार 'एकोऽहं द्वितीयो नास्ति' अर्थात् एक ब्रह्म की ही सत्ता है और अन्य किसी की नहीं। एकोह्यहं बहुस्यां' अर्थात् वह ब्रह्म एक ही है पर अनेक रूप में प्रकट होता है।

पर्यावरण – भारतीय दर्शन परम्परा स्पष्ट कहती है कि प्रकृति भगवान् की पत्नी अर्थात् हमारी माता है। प्रकृति माता में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता है। हमें भी प्रकृति को भोगने का नहीं केवल उससे पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। प्रकृति माता की सेवा हमारा कर्त्तव्य है। भारतीय दर्शन के अनुसार सारी सृष्टि में एक ही तत्त्व का वास है। इसलिए सबको जोड़े रखने की आवश्यकता है, यदि सन्तुलन बिगड़ा तो विनाश ही होना है। आज जंगलों की कमी के रूप में पर्यावरण को पहुँची क्षति का खामियाजा हम सभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प इत्यादि के रूप में भुगत रहे हैं।

चार आदर्श पुरूषार्थ – हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए पूर्णता की ओर बढ़ सकें इसके लिए हमारी संस्कृति में चार पुरूषार्थ बताए गए हैं – धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा नैतिक आदर्श है– धर्म, जिसमें शरीर से लेकर ब्रह्मपर्यन्त समस्त कर्त्तव्यों की परिपूर्ति पर बल दिया गया है। धर्म भारतीय जीवन का प्राण बिन्दु है। स्वामी विवेकानन्द कहते हैं – 'प्रत्येक राष्ट्र का एक प्राण केन्द्र होता है और उसी के आधार पर उस राष्ट्र की संरचना और पुनर्जागरण हो सकता है। भारत के लिए यह प्राण केन्द्र धर्म है। देश के पतन का कारण यथार्थ धर्म की शिथिलता है। धर्म भारत का मेरूदण्ड है। इस मेरूदण्ड को ही मजबूत बनाये रखने में भारत का अस्तित्व एवं उन्नति सुनिश्चित है। धर्म मतवाद या बौद्धिक तर्क नहीं अपितु आत्मसाक्षात्कार ही धर्म है, अन्तर्निहित देवत्व का विकास ही धर्म है, शिवज्ञान से जीव सेवा ही धर्म है।' अर्थ हमारा आर्थिक व राजनीतिक आदर्श है, जिसमें धर्म पर चलते हुए धन–धान्य की प्राप्ति एवं राज्य की वृद्धि एवं समृद्धि को उचित महत्त्व दिया गया है। किन्तु अर्थ न अनर्थ होना चाहिए, न व्यर्थ।

मनोवैज्ञानिक आदर्श है, जिसमें धर्म पर चलते हुए कामनाओं की उचित पूर्ति पर जोर दिया गया है। धर्म के अविरूद्ध काम स्वयं में ईश्वरीय कृत्य है, दर्पित काम ही दण्डित होता है। हमारे यहाँ विवाह–संस्कार, गृहस्थ संस्कार और गर्भाधान संस्कार इसी पर आधारित हैं। भारतीय संस्कृति कामनाओं को अविवेकपूर्वक, अशास्त्रीय ढंग से, अमर्यादित कार्य से पूर्ति करने की आज्ञा नहीं देती है। हमारा आध्यात्मिक आदर्श है – मोक्ष, जिसके द्वारा हम पूर्णता को, अपने मूल आत्मस्वरूप को, ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं। मोक्षार्थी को अपने कर्म को निष्काम बना लेना चाहिए। निष्कामता से चित्त शुद्ध होगा तभी भगवान् के प्रति प्रेम, विरह उत्पन्न होगा। जो इन चारों पुरुषार्थ को लकर चलता है, वह एक आदर्श नागरिक, आदर्श मानव, आदर्श पिता, पुत्र, भ्राता, सखा, माता, पत्नी, भगिनी, सखी, सद्गृहस्थ बनकर अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकता है।

> 'भारतीय संस्कृति एक पूर्ण प्रफुल्लित पुष्प के समान है जिसके पराग के कण तो बीज अनुकूल पवनों द्वारा संसार के भिन्न–भिन्न देशों–प्रदेशों में ले जाए गए। इस प्रकार संसार के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति के पौधे आरोपित होकर लहलहाने लगे। फलस्वरूप सारा भूमण्डल भारतीय संस्कृति की सुगन्धि से सुवासित हो उठा।' स्वामी विवेकानन्द के अनुसार भारतीय संस्कृति का प्रसार ओस की बूंद की तरह रहा है जो रात्रि की निस्तब्धता में चुपचाप कब हृदय को सिंचित कर जाती है किसी को पता भी नहीं चलता।

चार आश्रम – भारत के ऋषियों ने चारों आदर्शों की प्राप्ति के लिए तथा व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए जीवन को चार आश्रम में बाँटा है – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यासाश्रम। रससंचय का काल है ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थी काल में व्यक्ति जितना स्वास्थ्यरस, शक्तिरस, ज्ञानरस, धर्मरस का संचय कर लेगा, उसी के आधार पर भावी जीवन में उसकी उन्नति होगी। इस प्रकार यह तपकाल भी है। गृहस्थाश्रम में वह साधक पितृकुल से जुड़कर कर्म व उपासना करता है। भारतीय संस्कृति कृतज्ञता आधारित होने से कर्त्तव्य प्रधान संस्कृति है। यह मानती है कि जन्म से ही हमें तीन ऋण प्राप्त हैं – देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। शरीर एवं संसार में हमें जो भी भोग उपलब्ध है वह देवों की कृपा का फल है। ज्ञान की परम्परा हमें ऋषियों से प्राप्त हुई है और समाज को सुसंतान देना पितृ यज्ञ है। तीनों के प्रति कृतज्ञता समर्पण भाव से सेवा करते हुए धर्मपूर्वक अर्थार्जन व कामापूर्ति ही गृहस्थाश्रम है। पचास वर्ष की आयु के पश्चात् संतान को परिवार का दायित्व सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम को अपनाने का विधान है। इसमें परिवार जीवन गौण और समाज जीवन प्रमुख हो जाता है। गृहस्थ से निवृत्त होकर विविध सामाजिक संस्थाओं में जुड़कर समाजोत्थान का कार्य करने की यह परम्परा भारत में ही है। जीवन के अंतिम 25 वर्षों के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था दी गई है। संसार हमें छोड़े, छिटकाए इससे पूर्व हम ही सांसारिक सुखों का त्याग कर भक्तिमार्ग पर चलकर परमानन्द की ओर चल पड़ें। पराविद्या की प्राप्ति के लिए ही यह आश्रम होता है।

गीता में कहा गया है – 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।' अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन एवं संसार के सब कर्त्तव्यों को त्यागकर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ।

वर्ण व्यवस्था – समाज-जीवन के सम्यक् गठन तथा उसके विकास एवं पूर्ण लाभ के लिए वर्ण-व्यवस्था अर्थात् वर्ण-विभाजन को स्वीकार किया गया। इसमें श्रम व कर्म को महत्व देते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वर्ण निर्धारित किये गए। किन्तु अब यह वर्ण-व्यवस्था वर्ण-भेद में परिवर्तित हो गई है। इसे जाति और ऊँच-नीच से जोड़ दिया गया। फलत: इसमें विकृति आ गई। समाज को छोटी-छोटी ईकाई में बाँटकर सहज विकास की दृष्टि से बनाई गई जाति व्यवस्था भी अब जातिवाद बन गई है। कतिपय अतिवादियों व स्वार्थलोलुप लोगों ने समाज में परस्पर द्वेष-द्वन्द्व का वातावरण निर्मित कर दिया है। ऐसे में अब वर्ण व्यवस्था का औचित्य दिखाई नहीं पड़ता है।

नारी का महत्त्व – भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ईश्वर के बाद माँ को ही पूज्य कहा गया है। शक्ति पूजा भी माँ की आराधना के रूप में की जाती है। मनु कहते हैं- 'जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहीं देव, धन, ऋद्धि-सिद्धि और कीर्ति का वास होता है।' विदेश यात्रा के समय स्वामी विवेकानन्द से किसी ने पूछा – 'आप नारी को किस दृष्टि से देखते हो?' तब स्वामीजी का उत्तर दिया – 'हम नारी को माँ के रूप में देखते हैं।' मानवजाति की प्रथम गुरु माता ही है। पत्नी के रूप में वह अर्द्धांगिनी है, घर की साम्राज्ञी है, बहन और पुत्री के रूप में स्नेह का प्रतीक है।

विचार स्वातंत्र्य – भारत में मुक्त विचार की परम्परा रही है। भारत ने सत्य को कभी भी आबद्ध नहीं किया। ऋषियों ने कहा है- 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।' इसलिए वेद ने सत्य की व्याख्या नेति नेति कहकर की। पश्चिम में बद्ध-विचारों की परम्परा दिखती है। उनकी दृष्टि रही है कि जितना जाना उतना ही सत्य शेष सब असत्य है। पश्चिम ने सदैव अपने विचारों को थोपने का प्रयास किया, किन्तु भारत ने धर्म, विज्ञान, दर्शन, भाषा प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की स्वतंत्रता को महत्त्व दिया है। भारतीय संस्कृति विचार की स्वतंत्रता, उदारता और आचार में कठोरता, अनुशासन को स्वीकारती व प्रतिपादित करती है। विचारों की विविधता को पूरा प्रश्रय दिया गया पर आचार में मर्यादा बनी रहे यह भी स्थापित किया।

संस्कृत भाषा – संस्कृत और संस्कृति, दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है और संस्कृत उस आत्मा को प्रकाशित करने वाली राष्ट्र की बोली। भारतीय संस्कृति के सभी महान् ग्रंथ एवं ऐतिहासिक अभिलेख संस्कृत तथा संस्कृत मूल वाली भारतीय भाषाओं में सुरक्षित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति संस्कृत में बोलती है। संस्कृत को देव – वाणी भी कहा गया है। भारतीय संस्कृति देव-भाषा संस्कृत के दिव्यरथ पर बैठकर ही देशों, कालों एवं युगों की यात्रा करती हुई अभी तक अमर बनी हुई है।

गोमाता – भारतीय संस्कृति जिन देवों की उपासना पर अधिष्ठित है वे समस्त देवता गोमाता के विग्रह में विराजमान हैं एवं गोमाता स्वयं पृथ्वी का अभिदैविक रूप है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य में यज्ञ अनिवार्य है। यह यज्ञ गोमय, गोरस एवं गोघृत पर अवलम्बित है। भारत के मनुष्यों की ऋषि प्रज्ञा गोमाता के दुग्धामृत का वरदान है। भारतीय दैनन्दिनी जीवन गोमाता की अर्चना-पूजा, उपस्थिति के बिना नगण्य है।

वसुधैव कुटुम्बकम् – हमारा राष्ट्रीय आदर्श सूत्र है – 'वसुधैव कुटुम्बकम्।' अर्थात् सम्पूर्ण वसुधा (पृथ्वी) हमारा कुटुम्ब (परिवार) है। हमने सारे विश्व को एक बाजार, उपनिवेश या साम्राज्य नहीं वरन् एक परिवार माना है क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी एक ही ईश्वर की अमृत संतान हैं। हमारे ऋषि कहते हैं – 'स्वदेशो भुवनत्रयम्।' अर्थात् तीनों ही देश-लोक हमारे अपने हैं। वेद आदेश देते हैं – 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्।' अर्थात् सारे संसार को आर्य बनाओ, सारे संसार को श्रेष्ठ, गुणवान और सुसंस्कृत बनाओ। भारत की अध्यक्षता में हो रहे प्रतिष्ठित आयोजन जी-20 का ध्येय सूत्र भी यही है।

हमने देखा है कि विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियाँ छोटे-छोटे आघातों से सदा के लिए विलुप्त हो गईं क्योंकि वे सभी भौतिकता पर आधारित थीं। भारतीय संस्कृति आत्मा की अमरता और मनुष्यत्व पर आधारित होने के कारण सदैव अटल खड़ी रही है। भारत ने समूचे विश्व को धर्म-दर्शन-अध्यात्म, सभ्यता-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल की भेंट दी है, बिना किसी का अहित किये। किसी से छीने बिना सत् संस्कार, सत् विचार, चरित्र और प्रेम संसार में बाँटा है। आइये हम भी अपनी गौरवशाली संस्कृति से स्वयं को जोड़े रखते हुए व्यक्ति विकास के साथ-साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के विचार को प्रशस्त करें। रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं – 'भारतीय संस्कृति एक पूर्ण प्रफुल्लित पुष्प के समान है जिसके पराग के कण तो बीज अनुकूल पवनों द्वारा संसार के भिन्न-भिन्न देशों-प्रदेशों में ले जाए गए। इस प्रकार संसार के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति के पौधे आरोपित होकर लहलहाने लगे। फलस्वरूप सारा भूमण्डल भारतीय संस्कृति की सुगन्धि से सुवासित हो उठा।' स्वामी विवेकानन्द के अनुसार भारतीय संस्कृति का प्रसार ओस की बूंद की तरह रहा है जो रात्रि की निस्तब्धता में चुपचाप कब हृदय को सिंचित कर जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। ❑